

# राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण भवन, सेक्टर-19, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : [seacco@gmail.com](mailto:seacco@gmail.com)

विषय— राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 02/08/2021 को संपन्न 384वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021 को श्री वीरेन्द्र जर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया—

1. डॉ. मोहन जाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौड़डा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यू.दाम खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया—

एजेण्डा आइटम क्रमांक-1: 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।



एजेन्डा आयटम क्रमांक-2:

गौण/मुख्य खनिजों, औद्योगिक परियोजना एवं परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स पुटीडीह बिक्स अर्थ कले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.- श्रीमती सुमन बैरागी), ग्राम-पुटीडीह, तहसील-डभरा, जिला-जाजगीर-चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1736)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 220640 / 2021, दिनांक 18/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-पुटीडीह, तहसील-डभरा, जिला-जाजगीर-चांपा स्थित खसरा क्रमांक 529, 531, 533, 545/4 एवं 545/5, कुल क्षेत्रफल-1.149 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 900 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के जापन एवं ई-मेल दिनांक 28/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल दिनांक 02/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई संचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री श्याम आयरन एण्ड पौवर प्राईवेट लिमिटेड, इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर सिलतारा, फेरा-II, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1738)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनसी/ 220688 / 2021, दिनांक 19/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण - प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर सिलतारा, फेरा-II, जिला-रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 103(पार्ट) एवं 104, कुल क्षेत्रफल - 4.048 हेक्टेयर में इण्डकेशन फर्नेस (इग्नाट्स) क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर इण्डकेशन फर्नेस ग्रीनीएम विथ हीट चार्ज सेलिंग मिश्र (सेल्ड प्रोडक्ट्स) क्षमता 58,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति

हेतु अंगीकृत किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 6 करोड़ होगी।

समानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., धरतीसगढ़ के ड्राफ्ट एवं ई-मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

### बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री डी.के. सिन्हा, प्रेसीडेंट विडियो कॉन्फ्रेंसिंग को माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

#### 1. जल एवं वायु सम्मति -

- क्षेत्रीय कार्यालय, धरतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से इनादक क्षमता 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 07/09/2019 को जारी की गई है, जिसकी तिथि 31/07/2024 तक है।
- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के फालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

#### 2. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी -

- निकटतम आवादी ग्राम-अजोली 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन डबल्यूआरएस, कॉलोनी 4.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानमैदान, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

#### 3. लेण्ड एरिया स्टैटमेंट -

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Induction Furnace Area	6,000	14.83
2.	Rolling Mill Area	2,200	5.42
3.	Finished Good Area	1,100	2.72
4.	Raw Material Yard	1,200	2.96
5.	Parking Area	1,300	3.23
6.	Road Area	1,100	2.71
7.	Greenbelt Area	16,200	40.03
8.	Area for Future Expansion	11,368.6	28.10
<b>Total</b>		<b>40,468.6</b>	<b>100</b>

#### 4. रॉ-मटेरियल -

S.No	Input	TPA	Source	Transport
<b>For Induction Furnace</b>				

1.	Sponge Iron	48,000	Open Market.	By road (through covered truck)
2.	Scrap	13,000		
3.	Alloys	900		
<b>For Rolling Mill</b>				
1.	Billets	59,500	In-House Billets	Conveyor

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Existing	After Expansion
1.	Unit	Induction Furnace - 2 x 10 TPH	Induction Furnace with CCM and Hot charging Rolling Mill - 3 x 10 TPH
2.	Products	Ingots – 30,000 TPA	Rolled products through Induction Furnace with CCM and Hot charging Rolling Mill – 59,500 TPA
3.	Working Hours	12 Hours/Day	18 Hours/Day

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्वोर एवं 32 मीटर की 2 नम ऊंची चिमनी दोनों इण्डक्शन फर्नेस में स्थापित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वर्तमान में स्थापित दोनों इण्डक्शन फर्नेस में 1 नम डेग फिल्टर तथा प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस में 1 नम डेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही वर्तमान में स्थापित दोनों इण्डक्शन फर्नेस को एक ही चिमनी में संयोजित किया जाएगा तथा प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस को वर्तमान में स्थापित दूसरी चिमनी में संयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्थाओं से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 80 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

7. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था – प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 900 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल से गूज्ड ऑयल 180 लीटर प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लेग को स्लेग करिंग इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। गूज्ड ऑयल को अधिकृत वेन्डर्स इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। यही व्यवस्था वर्तमान में अपनाई गई है।

8. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल खपत एवं स्रोत – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 18 घनमीटर जल प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपर्युक्त परियोजना हेतु कुल जल 32 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 18 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेसन हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं

पीन वेल्ड हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से की जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सैप्टिक टैंक एवं सौकरपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सौवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 5 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शुन्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **सू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल घातपड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार-

(अ) बृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःकलन एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) घातपड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिकिडियल जल रिचार्ज के आधार पर सू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल घातपड वाटर बोर्ड द्वारा दीये जाने का प्रावधान था। उद्योग द्वारा परिवार में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल संचयन 19.420 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 11 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण संचयन को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव ही सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – समिति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न टॉक्स अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 9.324 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं विमनी से पार्टिकुलेट मटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से इस्ट उत्सर्जन की मात्रा 6.858 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु

उपयोग में लाया जाएगा तथा शुल्क निरसारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 900 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु उद्योग परिसर में वर्षाजल के कुल स्नॉर्फ का भू-गर्भ में रिचार्ज करना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – परियोजना हेतु 4.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति उत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 कॅन्टी.ए क्षमता का डी. जी. सेट एकोस्टिक इन्वोल्वर में स्थापित है। जिसमें 12 मीटर ऊंची विन्नी स्थापित है।
11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 1,286 हेक्टेयर (31.8 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,971 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत परिसर के चारों ओर 8 मीटर की चौड़ी पट्टी (1.82 हेक्टेयर (40.03 प्रतिशत) क्षेत्र) में 2,097 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा।
12. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
600	2%	12.0	Following activities at 6 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	7.27
			Potable Drinking Water Facility With AMC	1.75
			Running Water Facility for Toilet	2.25
			Plantation with Fencing	1.25
			<b>Total</b>	<b>12.52</b>

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-मड़ी, शासकीय शाला ग्राम-मिनवा, शासकीय शाला ग्राम-संगुनी, शासकीय शाला ग्राम-नरवा, शासकीय शाला ग्राम-भेरवा एवं शासकीय शाला ग्राम-मिथोनारा में किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि प्रकरण क्षमता विस्तार का होने के कारण सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार परियोजना के कुल लागत का 1 प्रतिशत व्यय किया जाना है। परंतु परियोजना क्रिटिकली पील्डुटेड क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर के कार्यालय आदेश क्रमांक 8176/मुख्या./स.ग.प.स.म./2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17/12/2019 अनुसार सीईआर के लक्ष्य परियोजना के कुल लागत का 2 प्रतिशत व्यय किया जाना है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के आदेश अनुसार सीईआर का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

13. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।
14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. नं. J-13012/12/2013-IA-ब/1, दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' कैटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाइन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इम्पल्स्ट्रीज (फॉरस एन्ड नॉन फॉरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाइन जारी किए गए हैं:-

"Category B2 - All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 50,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

15. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) की पैरा 7(ii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.
16. समिति का सर्वसम्मति से यह मत था कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार अर्थात् इम्पल्शन कर्नेल से हीट मेटल तीपार कर सी.सी.एम. के माध्यम से रोलिंग मिल में पीडिंग (आधुनिक प्रक्रिया हीट चार्जिंग विधि से) कर रि-रोल्ल के उत्पादन हेतु उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण अपनाने से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी होना प्रस्तावित है। उद्योग के विस्तार में कुल 4,200 घनमीटर अतिरिक्त जल की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने क्षेत्र में कुल 19,420 घनमीटर जल रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा संवय किया जाएगा। समग्र रूप से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, हान्य निस्तारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि (यद्यपि कुल मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अधिग्रहण करने, जल उपयोग की मात्रा में कुछ वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु परिसर के पूर्व स्तरीय को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से रिचार्ज किये जाने से होगी तथा क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण

नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की संभावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी" श्रेणी के आंतरगत माना जाएगा। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(3)(b) के प्रावधान के तहत, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त लक्ष्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत मेसर्स श्री श्याम आयरन एण्ड पीपर प्राइवेट लिमिटेड, इन्डस्ट्रीयल रोड रोडर सिल्लतरा, फेंस-11, जिला-रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 103(पार्ट) एवं 104, कुल क्षेत्रफल - 4.048 हेक्टेयर में इण्डकेशन फर्नेस (इगाट्स) क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष से बड़ाका इण्डकेशन फर्नेस सीरीएम विथ हीट गार्ड रोलिंग मिल (रोल्ड प्रोडक्ट्स) क्षमता 39,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रणिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स मुरा "ब" सेण्ड माईन (प्रो.- श्री दीपक कुमार अग्रवाल), ग्राम-मुरा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1739)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 220878 / 2021, दिनांक 29 / 07 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-मुरा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 241, कुल क्षेत्रफल-4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन नाम्द नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रापण एवं ई-मेल दिनांक 29 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02 / 08 / 2021।

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विक्रियो कान्धेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल दिनांक 02 / 08 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति को समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समझ प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई सचित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सचित आगामी माह के आवेजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।



4. मेसर्स बरभौना रोण्ड माईन (प्रो.- श्री मदन लाल अग्रवाल), ग्राम-बरभौना, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1740)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एनआईएन / 220887 / 2021, दिनांक 20/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-बरभौना, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ स्थित खसमा क्रमांक 182 कुल क्षेत्रफल-4.881 हेक्टर में प्रस्तावित है। उत्खनन कुरुकंट नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 91,724 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

संदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 29/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मदन लाल अग्रवाल प्रोपराईटर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अपलोड एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरभौना का दिनांक 08/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्हाकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हाकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.) जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1059/ख.लि-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1058/ख.लि-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मीटर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निम्न है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1058/ख.लि-3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 803/ख.लि-3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।



8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की नहीं है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निम्नतम आबादी घांम-बरनीना 1 कि.मी. एवं न्यूनतम प्राग-बरनीना 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 58 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 531 मीटर की दूरी पर अमनट्रीम में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 241 मीटर, न्यूनतम 188 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 515 मीटर, न्यूनतम 505 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 97 मीटर, न्यूनतम 85 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 33 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 91,724 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.34 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंथा 25 मीटर के छिन्न बिन्दुओं पर दिनांक 06/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

(Signature)

		Rupees)	(in Lakh Rupees)
			Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Barbhauna
43.9	2%	0.87	Rain Water Harvesting System
			Running Water Facility for toilets
			Plantation with fencing
			<b>Total</b>
			<b>0.90</b>

10. गैर माईनिंग क्षेत्र - नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 241 मीटर, न्यूनतम 188 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 33 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक को क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 2,948 घनमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। संत. रेत उत्खनन का कार्य खदान की अवशेष 4,586 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम पत्र क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वारंवारिक दूरी संबंधी जानकारी, इन विभाग से जारी अन्तर्पत्र प्रमाण पत्र की अवलोकन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. गैसर्स स्वशापाली रोपड माईन (प्रो.- श्री प्रभात झाट), ग्राम-स्वशापाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1741)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 220874 / 2021, दिनांक 20 / 07 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-स्वशापाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ स्थित खतरा क्रमांक 323, कुल क्षेत्रफल-2,045 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड भूमी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 31,560 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., जिला-रायगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 29 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02 / 08 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल दिनांक 02 / 08 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति की समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु

उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुसूच किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध की मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण विधे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स मुरा "अ" सैण्ड माईन (प्री- श्री महेश कुमार गर्ग), ग्राम-मुरा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1743)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 220907 / 2021, दिनांक 20 / 07 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत (गौच खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-मुरा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 241, कुल क्षेत्रफल-4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 90,000 मन्मीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजनत प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 29 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02 / 08 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजकुमार अनगुनिया, अधिकृत प्रतिनिधि विट्टियो कान्ठसिंग को माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुरा का दिनांक 13 / 10 / 2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संभालक (ख.प्र), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1057 / ख.सि-3 / रेत / 2021 रायगढ़, दिनांक 10 / 06 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1056 / ख.सि-3 / रेत / 2021 रायगढ़, दिनांक 10 / 06 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1056 / ख.सि.

—3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 10/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के आपन क्रमांक 801/ख.सि-3/रेत नीलामी/2021 रायगढ़, दिनांक 13/04/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।
8. वन विभाग का अनापरित प्रमाण पत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापरित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी ग्राम-मुरा 1 कि.मी. एवं स्थूल ग्राम-मुरा 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 40 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 42 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी — आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई — अधिकतम 516 मीटर, न्यूनतम 418 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई — अधिकतम 344 मीटर, न्यूनतम 315 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई — अधिकतम 161 मीटर, न्यूनतम 115 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 77 मीटर, न्यूनतम 52 मीटर है।
13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई — आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई — 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई — 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा — 90,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.22 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु योजना भी प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस — रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर के चिड़ चिन्दुओं पर दिनांक 05/06/2021 की रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

*(Handwritten Signature)*

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को समझ विस्तार से धर्मो उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
42.3	2%	0.84	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Murra	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Running Water Facility for toilets	0.25
			Plantation with fencing	0.10
<b>Total</b>			<b>0.85</b>	

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लीडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। कुरुकोट नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वार्षिक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स देवीपुर आर्किटेक्चर स्टोन क्वारी माईन (प्रो.- श्रीमती मंजू अग्रवाल), ग्राम-देवीपुर, तहसील व जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1742) ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 220855/2021, दिनांक 20/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह एक प्रस्तावित सञ्चारण पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-देवीपुर, तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित खदान क्रमांक 1529, कुल क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 2.106 टन (810 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के आपन एवं ई-नेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग को माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल दिनांक 02/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना समय नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेरस नारायणपुर बिल्ड अर्ब वले क्वारी एण्ड फिक्स विमनी बिक प्लांट (प्रो. - श्री सतीश कश्यप), ग्राम-नारायणपुर, तहसील ब जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1744)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ शीजी/ एमआईएन/ 220915/ 2021, दिनांक 20/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) खदान एवं फिक्स विमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-नारायणपुर तहसील ब जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 180 एवं 188, कुल क्षेत्रफल-2.43 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 3,252 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 21,88,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., अतीसगढ़ के आपन एवं ई-मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सतीश कश्यप, प्रोपराईटर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 180 एवं 188, कुल क्षेत्रफल - 2.43 हेक्टेयर, क्षमता - 3,500 घनमीटर (ईट उत्पादन 21,87,500 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघर निर्धारण प्राधिकरण, जिला-सूरजपुर द्वारा दिनांक 17/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार दूधारापण नहीं किया गया है।

- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के आपन क्रमांक 148/खनिज/2021 सुरजपुर, दिनांक 13/01/2021 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (नग)
2017	60,000
2018	6,00,000
2019	3,50,000

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सोनवाही का दिनांक 02/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - नॉडिफाईड क्वारी, इन्फार्मेट मैनेजमेंट प्लानएण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के पृ. आपन क्रमांक 891/खनिज/खलि.2/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 15/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के आपन क्रमांक 147/खनिज/2021 सुरजपुर, दिनांक 13/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के आपन क्रमांक 147/खनिज/2021 सुरजपुर, दिनांक 13/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एन्टीकैट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
- सीज का विवरण - पूर्ण में सीज भी कता राम गुप्ता के नाम पर थी। तत्पश्चात् सीज का हस्तांतरण दिनांक 17/01/2020 को श्री स्तीश करवप के नाम पर किया गया है। सीज डीक 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 02/06/2009 से 01/06/2030 तक की अवधि हेतु वैध है।
- भू-स्वामित्व - भूमि खतरा क्रमांक खतरा क्रमांक 180 श्री राजेश श्री विद्याशंकर, आवेदक एवं खतरा क्रमांक 188 श्री गिरजा शंकर के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के आपन क्रमांक/मा.वि./1706/2009 अम्बिकापुर, दिनांक 25/05/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटाग आबादी ग्राम-नारायणपुर 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम-नारायणपुर 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल अम्बिकापुर 5.5 कि.मी.





की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 235 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6-15 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** - जियोसॉफिस्टिकल रिजर्व 40,632 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 32,843 घनमीटर एवं रिक्वैरेबल रिजर्व 32,514 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबन्धित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.063 हेक्टेयर है। औपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 2,474 वर्गमीटर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्टार स्थापित है, जिसकी पिक्न विमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फलाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लोख ईंट निर्माण हेतु 13 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित मीकिमाईड स्वामी प्लान अनुसार प्रस्तावित वर्षार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	उत्पादन (नग)
प्रथम	3,252	21,68,000
द्वितीय	3,252	21,68,000
तृतीय	3,252	21,68,000
चतुर्थ	3,252	21,68,000
पंचम	3,252	21,68,000

**आगामी वर्षों का उत्पादन योजना**

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	उत्पादन (नग)
षष्ठम	3,252	21,68,000
सप्तम	3,252	21,68,000
अष्टम	3,252	21,68,000
नवम	3,252	21,68,000
दशम	3,245	21,63,333

13. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.01 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाता है। इस बावजूद ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. **वैर माईनिंग क्षेत्र** - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में टेम्पररी रेस्ट शैल्टर (temporary rest shelter) साईट

सर्विस हेतु 200 वर्गमीटर क्षेत्र को पैर साईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा। इसका उल्लेख साईनिंग प्लान में किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एक लाख ईंट निर्माण हेतु 13 टन कोयला से लगभग 1 टन ऐश जनित होगा जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाएगा। साथ ही रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ ब्रोकेन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग बण्ड एवं ड्रॉल रोड के निर्माण हेतु किया जाएगा।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.23	2%	0.69	Following activities at Government Primary School Utkapara, Village-Narayanpur	
			Rain Water Harvesting System	0.62
			Running Water Facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.05
			<b>Total</b>	<b>0.82</b>

18. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिधान मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एपिलिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश ने मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के जायन क्रमांक 147/खनिज/2021 सुरजपुर दिनांक 13/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-भाराखणपुर) का रकबा 2.43 हेक्टेयर है। खदान की सीमा



से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स नारायणपुर विनल अर्थ वले क्वारी एण्ड फिक्स विमनी प्रिवेट लिमिटेड (प्री.- श्री सतीश कश्यप) की ग्राम-नारायणपुर, तहसील व जिला-सुरजपुर के खसरा क्रमांक 180 एवं 188 में स्थित मिट्टी उत्खनन (बीएम खनिज) खदान एवं फिक्स विमनी ईट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल-2.43 हेक्टेयर, क्षमता - 3,252 धननीटर (ईट उत्पादन इकाई 21,88,000 नम) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स एनकोजे बीयोपयूल प्राइवेट लिमिटेड, एनएच-30, ग्राम-राम्हेपुर, तहसील-बोडला, जिला-कबीरघाम (सचिवालय का नरती क्रमांक 1526)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी / आईएनडी2 / 59925 / 2021, दिनांक 18/01/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन/59925/2021, दिनांक 20/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा तहसील-बोडला, जिला-कबीरघाम, ग्राम-राम्हेपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1/2, 2/3/1, 3/2, 4, 5 एवं ग्राम-कुधारा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 62/1 तथा 62/4, कुल क्षेत्रफल - 81.028 वर्गमीटर (20 एकड़) में न्यू मोलारसेस बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता - 80 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाइड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्पिरिट / एक्स्ट्रा म्यूटल एल्कोहल उत्पादन हेतु) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना में कुल विनियोग रुपये 126.7 करोड़ होगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/02/2021 द्वारा प्रकरण बी-1 कंटेनरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टेम्प्लेट ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिज्यायोरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अफ्टर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(जी) डिस्टिलरी (Distillery) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया।

वर्तमान में उद्योग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भूपेन्द्र ठाकुर, मेनेजिंग डायरेक्टर (मेसर्स भोरगदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित), श्री राजेश गोहम, डायरेक्टर (मेसर्स एन.को.जे. अर्थ वलू प्राइवेट लिमिटेड) एवं मेसर्स वसंतधारा शुगर इंडस्ट्रीयूट, पूर्ण की ओर से

तकनीकी सलाहकार के रूप में डॉ. दीपाली मिश्रलकर विशिष्ट कॉन्सॉलिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी —

- निकटतम शहर कवर्धा 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बकूल ग्राम—रामहेपुर 1.5 कि.मी., अस्पताल 9.9 कि.मी. एवं निकटतम रेलवे स्टेशन बिलारपुर 10.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानचतान, चामरा, चम्पूर 130 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.5 कि.मी. दूर है। सकरी नदी 5.7 कि.मी. दूर है। ताप्ताब 1.1 कि.मी. दूर है।
- प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भोरमदेव अभ्यारण्य 10.5 कि.मी. एवं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 85 कि.मी. दूर स्थित है। समिति का मत है कि भोरमदेव अभ्यारण्य की निकटतम सीमा की दूरी के संबंध में वन विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट —

Description	Area (SQM)
Fermentation + Distillation + MSCH + MEE + Spirit Storage	8,570
Ethanol Storage Area	3,473
Molasses Storage Tank Area	6,821
Power Plant Area	8,200
Waste Water Treatment (CPU + Lagoon + STP)	5,000
ADM Building + Temple + Guest House + Utility Building	2,450
Internal & Entrance Road	17,400
Open Area Including Parking Space	2,000
Green Belt Area (33%)	26,712
<b>Total Area</b>	<b>81,026</b>

उक्त के अनुसार वृक्षारोपण 33 प्रतिशत क्षेत्रफल में प्रस्तावित किया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण का कार्य कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत क्षेत्र में किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण का कार्य कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत क्षेत्र में करने हेतु सहमति दी गई है। उक्त की दृष्टिगत वृक्षारोपण को दर्शाते हुये संशोधित ले-आउट प्लान एवं लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि मैसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित से मौलासेस 30,000 टन प्रतिवर्ष को पाईप लाईन के माध्यम से तथा शेष मोलासेस 40,500 टन प्रतिवर्ष को आस-पास के शक्कर कारखानों से टैंकरी के माध्यम से क्वय किया जाएगा। मैसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित से किसी कारणवश मोलासेस प्राप्त नहीं होने पर आस-पास के शक्कर कारखानाओं से टैंकरी के

माध्यम से मोलासेस कचरा किया जाएगा। फलस्वरूप प्रस्तावित डिस्टिलरी में सभी कार्यकलापों को एकीकृत कर अतिरिक्त वाहनों के आवागमन को शामिल करते हुये समतुल्य पी.सी.यू की गणना कर अतिरिक्त वाहनों को परिवहन हेतु सड़कों के परिवहन भार अनुसार सड़क उपयुक्त होने बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि मोलासेस को मोलासेस स्टोरेज टैंक में भण्डारण किया जाएगा। मोलासेस स्टोरेज टैंक से आईल्युशन इकाई में आईल्युशन किया जा कर यीस्ट (Yeast) के माध्यम से फिन्गेशन (Fermentation) किया जावन डिस्टिलेशन इकाई एवं मल्टी इफेक्ट इवैपोरेटर (Multi effect evaporator) उपरान्त एनहाईड्रेस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्पिट / एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल का उत्पादन किया जाएगा।
5. भूमि संबंधी विवरण - मेसर्स मोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित वर्ष 2004 से स्थापित है। इसकी गन्ना कृशिंग उत्पादन क्षमता 2,600 टन प्रतिदिन है। डिस्टिलरी इकाई हेतु आवेदित भूमि मेसर्स मोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित के मान पर होना बताया गया है। मेसर्स एन.के.जे. बायो प्रमूल् प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिस्टिलरी की स्थापना मेसर्स मोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित द्वारा लैंड पर प्रदत्त भूमि पर करना प्रस्तावित है।
6. रॉ-मटेरियल -

Content		Molasses-C Heavy	Molasses-B Heavy	Syrup (40-50 Deg. Brix)
Raw Material	Quantity	297 TPD	258 TPD	315 TPD
	Sources	From BSSUKM Sugar factory + Remaining molasses will be purchased from nearby sugar factories and others vendors		
	In raw material also involve Nutrient N,P - 120 kg/d and Turkey Red Oil (TRO) - 400 kg/d			

7. जल प्रबंधन व्यवस्था -

Description	C-Heavy (m <sup>3</sup> /day)	B-Heavy (m <sup>3</sup> /day)	Syrup (m <sup>3</sup> /day)
<b>Water Input</b>			
Process water for fermentation & CO <sub>2</sub> Scrubber	700	686.5	432
Boiler feed water @24 TPH (capacity 30 MT/Hr)	577.5	483.5	400
Soft water for vacuum pump & others	100	100	100
For cooling towers makeup water	502	520	274
Other domestic usage	10	10	10
Daily utilize washing & others	86.5	150.5	94
<b>Total water Input at Start-up</b>	<b>2,076</b>	<b>1,968.5</b>	<b>1,310</b>
<b>Water Output</b>			
Spent lees (PR & Rect.)	120	120	120
Soft water for vacuum pump & others	100	100	100
Exhaust condensate	550	480.5	380
Process condensate	480	534	216
Soft water for vacuum pump & others	100	100	100

<b>Total Water Output</b>	<b>1,350</b>	<b>1,314.5</b>	<b>916</b>
<b>Water loss</b>			
CT Evaporation & drift losses	602	520	274
Domestic consumption losses	10	10	10
Boiler blow down & steam loss (to CPU)	27.5	23	20
Daily washing & others (Sent to CPU)	80.5	91	80
<b>Total Water Loss</b>	<b>726</b>	<b>644</b>	<b>394</b>
<b>Recycle Streams</b>			
Less recycle for RS dilution (after CPU)	120	120	120
Process condensate (after CPU)	480	534	215
Steam condensate recycled to boiler	450	460.5	380
Soft water for vacuum pump & others cooling water	100	100	100
Other effluent like boiler blow down, flower washing & WTP reject	114	185.5	114
<b>Total recycling / re-utilization of water per day</b>	<b>1,364</b>	<b>1,399.5</b>	<b>930</b>
<b>Total Daily water requirement / input</b>	<b>712</b>	<b>586</b>	<b>380</b>
<b>Concentrated spent wash incinerated at boiler cum/day</b>	<b>160</b>	<b>106.67</b>	<b>24</b>

फर्मेंटेशन प्रोसेस, वॉशर पीड, क्लिंग टॉवर, मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर पीड, मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर कन्सन्ट्रेट, मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर कंडनसेट, वाटर रियसाकलिंग प्लांट, इन्सिनेरेशन पीड आदि में मल्टी मीटर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति बोरोवेल से की जाएगी। इस हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से 712 घनमीटर / प्रतिदिन जल रोहान हेतु अनुमति प्राप्त की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 02/06/2024 तक है।

B. जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - सी-स्पेट वॉश उपचिपतान 640 किली प्रतिदिन (13 से 15 प्रतिशत टोटल सीलिडस) उत्पन्न होगा। सी-स्पेट वॉश को मल्टी इफेक्ट इवापोरेशन प्लांट में कन्सन्ट्रेट उपचार 160 घनमीटर प्रतिदिन कन्सन्ट्रेटेड स्पेट वॉश (80 प्रतिशत टोटल सीलिडस अनुसार 1984 टन प्रतिदिन) प्राप्त होगा। कन्सन्ट्रेटेड स्पेट वॉश को 30 टन प्रतिघंटा क्षमता के इन्सिनेरेशन बॉयलर में जलाया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त औद्योगिक दूषित जल के रूप में स्पेट लीज 120 घनमीटर / दिन तथा प्रोसेस कंडनसेट 480 घनमीटर / दिन उत्पन्न होगा। उपरोक्त दूषित जल को उपचार हेतु प्राथमरी ट्रीटमेंट (इक्विवाइजेशन टैंक, न्यूट्रलाइजेशन टैंक, प्राथमरी क्लेसिफिकेशन), सेकेंडरी ट्रीटमेंट (एनारोबिक ट्रीटमेंट, एरोबिक ट्रीटमेंट), क्लेसिफिकेशन (सेकेंडरी क्लेसिफिकेशन), तृतीयक ट्रीटमेंट (एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सोडियम हाइपोक्लोराइट से क्लोरीनेशन) की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल लगभग 800 घनमीटर प्रतिदिन को मोलासेस डाल्डुशन इकाई एवं क्लिंग टावर मेकअप में पुनः उपयोग किया जाएगा। सी-ई.टी.पी. के आउटलेट में ऑनलाईन कंटीन्युअस इफ्ल्युरेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है। धरतू दूषित जल को उपचार हेतु सीकेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 20 किलोलीटर प्रतिदिन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। क्लोरीनेशन उपचार उपचारित धरतू जल को जल किडकाव एवं क्लोरोफॉर्म में उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

*(Handwritten signature)*

9. **डीएस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था -**

Waste	Quantity (TPD)	Disposal	Remark
Yeast Sludge	2-3	Used as soil Conditioner	Organic
Ash Spent wash + Coal Or Spent wash + Bagasse ash	58.25 or 37.80	Sold to brick manufacturing units mixed into farm soils	Inorganic
Distillery Condensate Polishing Unit (CPU) Sludge	0.5-0.7	Used as soil Conditioner	Organic/ Inorganic
Used or Spent Oil from DG sets	1-1.5 KL/annum	Burnt into Furnace	Inorganic

डी.जी. सेटस से प्राप्त युज्ड अथवा स्पेंट ऑयल को फर्नेस में जलाया जाना प्रस्तावित किया गया है। यह परिसरकतमय अपशिष्ट की श्रेणी में आता है। अतः समिति का मत है कि युज्ड अथवा स्पेंट ऑयल को परिसरकतमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचालन) नियम, 2015 के अनुसार अपराईज्ड रिसायकलर्स / वेप्टर्स को प्रदाय किया जाना उचित होगा।

10. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था -** 01 नग फल्टुआईज्ड वेड कमबेशन बीयरर समता 30 टीपीएच लगाया जाना प्रस्तावित है। फ्यूल हेम्बलिंग हेतु मेकनाईज्ड विधि के साथ क्लोज्ड कन्स्टेयर वेल्ड लगाया जाना प्रस्तावित है। कोल स्टोरेज एरिया / यार्ड में फवर्टेड शेड बनाया जाना प्रस्तावित है। फोल हेम्बलिंग समता 5 टीपीएच लगाया जाना प्रस्तावित है। मेकनाईज्ड फ्यूल हेम्बलिंग सिस्टम, ब्लोडिंग / अनब्लोडिंग में डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था की जावेगी। स्पेटवाश लगभग 198.4 टन प्रतिदिन (160 घनमीटर प्रतिदिन), कोयला लगभग 58.56 टन प्रतिदिन / बगारा लगभग 103.92 टन प्रतिदिन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाएगा। यदि बगारा किसी कारणवश प्राप्त नहीं होने पर कोयला / राख का उपयोग किया जाएगा। पार्टिकुलेट मेटर परसर्जन नियंत्रण हेतु बीयरर में ई.एस.पी. की स्थापना एवं चिमनी की लंबाई 57 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फेरमेंटन (Fermentation) इकाई में कार्बन डाईऑक्साईड सक्वर लगाया जाना प्रस्तावित है। जनित फ्लाई ऐश, सी-मटेरियल को उके हुके वाहनों से परिवहन तथा फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी में ऑनलाइन कंटीन्युअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है।

11. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था -** उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल संभार 41,822 घनमीटर प्रतिवर्ष होगी। उद्योग परिसर में प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था हेतु 2 मीटर व्यास एवं गहराई 3 मीटर के रिचार्ज पिट बनाया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था हेतु विस्तृत गणना (प्रस्तावित रिचार्ज स्ट्रक्चर की संख्या, क्षमता (लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई सहित) व्यवस्था उपनांत हार्वेस्टेड जल की मात्रा आदि) स्टार्म वॉटर की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

*Con/*

12. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** - परियोजना हेतु 1.86 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति हेतु 30 टन प्रतिघंटा क्षमता के बॉयलर से प्राप्त हाई प्रेशर स्टीम का उपयोग 03 मेगावाट क्षमता के टर्बो जनरेटर से विद्युत उत्पादन की जाएगी। टर्बो जनरेटर से प्राप्त लो प्रेशर स्टीम को डिस्टिलरी इकाई में विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग किया जाएगा। दैनिक आवश्यकता हेतु डी.जी. सेट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि प्रस्तावित डी.जी. सेट की राख्य क्षमता भी जानकारी एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित ऊंचाई की विमनी स्थापित किया जाना आवश्यक है।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-**

- i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** - मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2018 से मई 2018 के माध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया है।
  - ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.<sub>10</sub> 29.09 से 48.98 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.<sub>2.5</sub> 69.25 से 71.57 माईक्रोग्राम/घनमीटर, सल्फर डाईऑक्साईड 22.14 से 25.63 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ<sub>x</sub> 28.37 से 29.45 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत पी.एम. की मात्रा 3.02 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि एवं सल्फर डाईऑक्साईड की मात्रा 14.35 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होना प्रस्तावित है।
  - iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार उपचार उपरंत पीने योग्य एवं कृषि कार्य हेतु उपयुक्त है।
  - iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 52.3 डीबीए से 68.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 41.0 डीबीए से 59.9 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मानकों के अनुरूप है। परियोजना के प्रारंभ होने के उपरंत परिवेशीय ध्वनि प्रभाव की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
  - v. भारी वाहनों / मल्टीएअशल हेवी वाहनों को समाहित करते हुये उपयुक्त ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।
14. लोक सुनवाई दिनांक 28/06/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना नयादित, ग्राम-राम्हेपुर, जिला-कबीरवाहन में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है। समिति द्वारा लोक सुनवाई दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

an



15. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- i. राज्य सरकारोंने नै 5-7 सालों से निवार जो नदी के किनारे बहाव हुआ उसमें पशुओं की मृत्यु हुई थी। साथ ही एथेनील खाट के बाहर जल का अनाधिकृत बहाव नहीं होना चाहिए जिससे पर्यावरण संरक्षित रहे।
- ii. एथेनील खाट में प्रदूषण नियंत्रण की उपयुक्त व्यवस्था की जाए।
- iii. केमिकल उद्योग से वर्तमान में पर्यावरणीय मुकदमों दिखाई नहीं पड़ते हैं इसकी दूरगामी परिणाम होती है। साथ ही इस एथेनील खाट को आस-पास 4 से 5 हेक्टेयर के आस-पास खेत भी है, यदि उसमें उत्पादन में किसी प्रकार की कमी आती है, तो क्या उसका मुआवजा एथेनील खाटों द्वारा किया जाएगा। जिस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
- iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उल्लेख नये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. मोरमदेव सहकारी राज्य सरकार कारखाना एवं एम.के.जे. बायोपयुला दोनों अलग-अलग इकाईयां हैं। डिस्टिलरी शुष्क निस्सारण सिद्धांत (जेड.एल.बी.) पर आधारित होती। उत्पन्न औद्योगिक एवं घरेलू दूषित जल का उपचार डिस्टिलरी परिसर के भीतर किया जाएगा एवं किसी भी प्रकार के अनुसंचालित / उपचालित दूषित जल का निस्सारण परिसर के बाहर नहीं किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान मैनेजिंग डीपैरेक्टर, मेसर्स, मोरमदेव सहकारी राज्य सरकार उत्पादक कारखाना संचालित द्वारा बताया गया कि वर्ष 2002-03 में कारखाना स्थापना के साथ ई.टी.पी.की की स्थापना की गई थी। कारखाने का दूषित जल प्रकल्प से ही कारखाना परिसर में स्वयंचालित ई.टी.पी. में उपचालित कर कारखाना परिसर में संग्रहण एवं उपयोग हेतु संचालित व्यवस्था की गई है। संपूर्ण जल कारखाने में लगाये गये पंपों की संचालित हेतु उपयोग में लाया जाता है, एवं किसी भी प्रकार का उपचालित जल का कारखाना परिसर से बाहर नहीं छोड़ा जाता है। अंत-कारखाने संभले से मुजरमें वाली तकक के किनारे बस पम्पे गये पशु की मृत्यु का कारणने तो कोई संशय नहीं है। समिति का मत है कि उपरोक्त कथन सिद्धित में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- ii. मातु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बीघतर में ई.एल.पी. तथा किण्वन (Fermentation) इकाई में कार्बन डाईऑक्साईड सक्कर संचालित किया जाएगा। कन्सल्टेंट्स स्पेट वीस को ई-नीनरेशन बीघतर में जलाया जाएगा। स्पेट लीज तथा प्रोसेस कंडनसेट को दूषित जल उपचार संयंत्र से उपचार उपरोक्त मोलादेस कीत्युक्तन इकाई एवं कूलिंग टावर केकडय में पुनः उपयोग किया जाएगा। शुष्क निस्सारण की विधि रही जाएगी।
- iii. यह एक प्रथमिकता उद्योग नहीं है, अतितु डिस्टिलरी इकाई है। डिस्टिलरी शुष्क निस्सारण सिद्धांत (जेड.एल.बी.) पर आधारित होती। उत्पन्न औद्योगिक एवं घरेलू दूषित जल का उपचार डिस्टिलरी परिसर में भीतर किया जाएगा

एवं किसी भी प्रकार के अनुषंगारित / उपषंगारित दूषित जल का निस्सारण परिसर के बाहर नहीं किया जाएगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम व्यवस्थाएँ की जाएगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि डिस्टिलरी इकाई से किसी भी प्रकार के अनुषंगारित / उपषंगारित दूषित जल का निस्सारण परिसर के बाहर नहीं किया जाएगा। अतः आसपास स्थित खेतों में दूषित जल के निस्सारण की संभावना निराक है। किसी अपरिहार्य परिस्थिति में दुर्घटनात्मक डिस्टिलरी इकाई से दूषित जल का निस्सारण बाहर के खेतों में होने पर किसी खेत / फसल के नुकसान होने की दशा में प्रशासन द्वारा निर्धारित मुआवजा संबंधित को दिया जाएगा। समिति का मत है कि उपरोक्त बाबत लिखित में जानकारी प्रस्तुत की जाए।

iv. निश्चित बेटोजमातों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के सम्मेलन विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12670	1.5%	190.5	Following activities at Nearby 14 Government Schools & 1 primary health center for next 5 years	
			Rain Water Harvesting System	100.0
			Potable Drinking Water Facility	29.0
			Training to local youth / skill development	33.0
			Plantation with Fencing	29.0
			<b>Total</b>	<b>191.0</b>

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-राम्हेपुर कला, (2) शासकीय उच्चतर शाला ग्राम-राम्हेपुर, (3) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-बुधवार, (4) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-सहंगी, (5) शासकीय उच्चतर शाला ग्राम-सहंगी, (6) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-मल्लुबुवा, (7) शासकीय उच्चतर शाला ग्राम-प्रभाटीला, (8) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-प्रभाटीला, (9) शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम-पोण्डी, (10) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-वन्दलपुर, (11) शासकीय उच्चतर शाला ग्राम-लैन्ताखर, (12) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-रीवापार,

*Signature*

(13) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-मारियाटोला, (14) शासकीय उच्चतर शाला ग्राम-मानिकपुर एवं (15) शासकीय उच्चतर शाला ग्राम-पोड़ी में किया जाएगा।

समिति को संज्ञान में यह तथ्य आया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार परियोजना के कुल लागत का 100 करोड़ तक के लिए 2 प्रतिशत एवं 100 करोड़ से 500 करोड़ तक के लिए 1.5 प्रतिशत व्यय किये जाने का प्रावधान है। आवंटित परियोजना हेतु ओ.एम. के अनुसार सी.ई.आर. के तहत 24 करोड़ व्यय किया जाना होगा।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के कुल लागत (126.7 करोड़) का 1.5 प्रतिशत व्यय शासकीय शाला एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जाना बताया गया है। जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि परियोजना हेतु सी.ई.आर. के तहत व्यय प्रति अत्यधिक होने के कारण ईको पार्क निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। अतः ओ.एम. के अनुसार संशोधित कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. स्थल से भोरगढ़ अम्बारण्य की निकटतम सीमा की वास्तविक दूरी संबंधी प्रभावित जानकारी वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जीव संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. प्रस्तावित परियोजना हेतु ई.एस.पी., स्क्रबर आदि से उत्पन्न पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन की मात्रा की गणना कर उत्सर्जन स्तर (माईक्रोग्राम/घनमीटर) की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. किरातरी से सात्कर डाईआक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 14.36 माईक्रोग्राम / सामान्य घनमीटर बताई गई है। इसकी मात्रा उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। सात्कर डाईआक्साईड उत्सर्जन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न सात्कर डाईआक्साईड की मात्रा की गणना तथा परिवेशीय वायु में जी.एस.सी. (GLO) की गणना कर प्रस्तुत की जाए।
5. वृक्षारोपण का कार्य कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत क्षेत्र में करने हेतु परिसर के चारों तरफ प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुए संशोधित जे-आउट प्लान एवं लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
6. युज्ड अथवा स्पैट ऑयल को परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचालन) नियम, 2018 के अनुसार अथराईज्ड डिपॉजिटरी / वेप्टर्स को प्रदाय करने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. उपयोग परिसर में प्रस्तावित रेन वॉटर हार्बरिंग व्यवस्था हेतु विस्तृत गणना [प्रस्तावित रिजर्व स्ट्रक्चर की संख्या, क्षमता (लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई सहित) व्यवस्था उपरोक्त हार्बरिस्टेज जल की मात्रा आदि] स्टार्म वाटर की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।



8. डिस्टलरी से सभी कार्यकलापों को एकीकृत कर अतिरिक्त वाहनों के आवागमन को शामिल करते हुए समतुल्य पी.टी.यू. की गणना कर अतिरिक्त वाहनों के परिवहन हेतु राहकों के परिवहन मात्र अनुसार राहक उपयुक्त होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों को समाहित करते हुए ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
  9. प्रस्तावित सी.जी. रोड्स की संख्या, शक्ति की जानकारी एवं सैन्डीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित क्वार्ट्ज की विनयी स्थापित किये जाने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
  10. परियोजना के प्रारंभ होने के उपरान्त परिवेशीय ध्वनि प्रभाव की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
  11. मैनेजिंग डायरेक्टर, मेसर्स भारमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना न्यायिक से लोक रुग्णवाड़ी के दौरान नृत पशुओं के संरक्ष में उठाये गये मुद्दे के समाधान हेतु लिखित में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
  12. परियोजना प्रस्तावक से किसी अपरिहार्य परिस्थिति में दुर्घटनाग्रस्त डिस्टलरी इकाई के दुष्प्रति प्रदूषण का निस्तारण बाहर के क्षेत्रों में होने पर किसी खेत / फसल के नुकसान होने की दशा में प्रशासन द्वारा निर्धारित मुआवजा संबंधित को किये जाने बाबत लिखित में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
  13. परियोजना हेतु सी.ई.आर. के राहक व्यय राशि (2.4 करोड़) अत्यधिक होने के कारण ईको पार्क निर्माण हेतु प्रस्ताव डिस्तल विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
  14. उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।
- परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**एजेन्डा आइटम क्रमांक-3:** परियोजना प्रस्तावकों से वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों पर विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स कुरमाडीह क्वार्ट्ज डिपॉजिट (प्रो.- श्री अभिषेक अग्रवाल), ग्राम-कुरमाडीह, तहसील-बसना, जिला-महासमुंद्र (राजिवालय का नस्ती क्रमांक 1628)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 208726 / 2021, दिनांक 28 / 03 / 2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से आपन दिनांक 03 / 04 / 2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04 / 06 / 2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह एक प्रस्तावित क्वार्ट्ज (गोम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कुरमाडीह, तहसील-बसना, जिला-महासमुंद्र स्थित खतरा क्रमांक 67 एवं 68, कुल क्षेत्रफल-4.08 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन शक्ति - 25,000 टन प्रतिवर्ष है।

*(Handwritten signature)*

सदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एल.ओ.आई., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 378वीं बैठक दिनांक 16/06/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि विद्विपी कॉन्डेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडिंग एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण - इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. खान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में खान पंचायत कुन्नाडीह का दिनांक 10/06/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - जारी प्लान विथ स्कीम ऑफ माइनिंग फॉर फास्ट फाईव ईयर एम्ब क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संचालनालय, बीमिठी तथा खनिज, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 355/जिओ/क्वारी स्कीम /प्लान नं.43/2020 रायपुर, दिनांक 23/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महाराष्ट्र के ज्ञापन क्रमांक/406/क/खनि/म.ज./2021 महाराष्ट्र, दिनांक 08/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महाराष्ट्र के ज्ञापन क्रमांक/406/क/खनि/म.ज./2021 महाराष्ट्र, दिनांक 08/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. की अभिषेक अग्रवाल के नाम पर है। एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, संकालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ3-5/2011/12 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/05/2020 को जारी की गई है।
7. भू-स्वामित्व - खसरा क्रमांक 66 शासकीय भूमि है एवं खसरा क्रमांक 67 श्री मुनु के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंप्रदायिकारी, सामान्य वनसंप्रदाय, जिला-महाराष्ट्र के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./खनिज/3047 महाराष्ट्र, दिनांक 22/07/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

*(Signature)*

10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम शहर बसना 20 कि.मी. स्कूल घान-कुरमाडीह 3 कि.मी. एवं अस्पताल बसना 20 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबोधित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — जियोटेक्निकल रिजर्व लगभग 11,15,287 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 7,85,293 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व लगभग 4,99,176 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबोधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,980 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सीमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.4 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,000 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बीच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 27 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कठोर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जीक हेमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल प्लारिस्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षाधार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	16,867
द्वितीय	25,000
तृतीय	25,000
चतुर्थ	33,333
पंचम	41,667

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा घान पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत घान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।
14. वृक्षारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,700 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन — लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. पैन माईनिंग क्षेत्र — अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र को एक भाग क्षेत्रफल 16,884 वर्गमीटर क्षेत्र में क्वार्टेज की उपलब्धता नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्र को पैन माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीई आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के माध्यम से विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—



Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
47	2%	0.94	Following activities at Government Primary School, Village-Kurmadih	
			Rain Water Harvesting System	0.80
			Potable Drinking Water Facility	0.20
			Running Water Facility for Toilets	0.20
			<b>Total</b>	<b>1.20</b>

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को सीमा सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं बरतनवाघार/गोमडी अभयारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अपेक्षा प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिध्ति पाई गई:-

- कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला-महासमुंद के पृ. ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./3684 महासमुंद, दिनांक 26/06/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा बरतनवाघार अभयारण्य 18.38 कि.मी. (एरियल दूरी) दूर है।
- माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बैंक, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विलुद्ध भारत सरकार, चर्याकरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महाराष्ट्र के ज्ञापन क्रमांक/406/क/खनिज/न.क्र./2021 महाराष्ट्र, दिनांक 08/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरक है। आवेदित खदान (ग्राम-कुरमाडीह) का रकबा 4.09 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स कुरमाडीह क्वार्टेज डिपोजिट (प्री- भी अभिवेक अग्रवाल) की ग्राम-कुरमाडीह, तहसील-बसाना, जिला-महाराष्ट्र के खसरा क्रमांक 67 एवं 68 में स्थित क्वार्टेज (गोण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-4.09 हेक्टेयर, क्षमता - 29,000 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण निधीकरण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) उत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स मुकेश घोटी पथरिया लाईन स्टोन माईन (पार्टनर- श्री अशोक बाफना एवं श्री नितेश बाफना), ग्राम-पथरिया, तहसील-बगधा, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नरती क्रमांक 1665)

आवेदन - पूर्व में प्रयोजित नम्बर - एसआईए /सीजी /एफआईएन /63389/2021, दिनांक 19/05/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/07/2021 को लोक सुनवाई की आवश्यकता के संबंध में जानकारी/वक्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित घुना पथर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम-पथरिया, तहसील-बगधा, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 363, 364, 365, 366, 368/1, 368/2, 367 (पार्ट) एवं 320 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल-4.12 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-27,900 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., उत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.सी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्ड इम्प्यायर्समेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि यह खदान उस बलरटर का भाग है, जिसके लिए लोक सुनवाई पूर्व में की गई थी। उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार लोक सुनवाई की आवश्यकता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।



## बैठक का विवरण -

### (अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/06/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/529/खनि. लि.3/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 05/07/2021 के अनुसार "खदान उस कलेक्टर का भाग है, जिसके लिए लोक सुनवाई पूर्व में की गई थी।" होना बताया गया है।
2. मेसर्स मुकेश घोड़ी को स्वीकृत उक्त खदान भी उस कलेक्टर का भाग है, जिसके लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 03/10/2019 को आयोजित थी।
3. समिति की 379वीं बैठक दिनांक 19/06/2021 एवं प्राधिकरण की 113वीं बैठक दिनांक 28/06/2021 में लिये गये निर्णय अनुसार ईआईए रिपोर्ट तैयार किये जाने के लिए जारी किये गये स्टैण्डर्ड टीओआर हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई की आवश्यकता नहीं होने के अनुरोध को मान्य किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से एस.ई.आई.ए. छत्तीसगढ़ की 113वीं बैठक दिनांक 28/06/2021 में लिये गये निर्णय उपरान्त एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 345/एस.ई.ए.सी.प्र.ग./माईन/1685 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/06/2021 द्वारा ईआईए रिपोर्ट तैयार किये जाने के लिए जारी किये गये स्टैण्डर्ड टीओआर में, पूर्व में कलेक्टर हेतु किये गये ईआईए स्टडी को मान्य किये जाने तथा जारी टीओआर में लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होने की अनुरासा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स गोंडपेण्ट्री लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री जयेश शर्मा), ग्राम-गोंडपेण्ट्री, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 908)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 38103/ 2019, दिनांक 24/06/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 214012/ 2021, दिनांक 05/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-गोंडपेण्ट्री, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 316(पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4 एवं 318/5, कुल क्षेत्रफल-1.59 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-45,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/11/2019 द्वारा प्रकरण बी-1 अक्टोबरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टू. 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और

ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज. रिकॉम्येंडिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीचे बोल गईं निम्न प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 05/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एल.ओ.आई. घाटीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-नोट दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 377वीं बैठक दिनांक 17/06/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उमेश शर्मा, प्रोपराइटर विडियो कान्फेरेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अफ्लोफन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई -

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण - इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मोड़वेण्डी का दिनांक 29/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - ज्यारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बालोद के वृ. ज्ञापन क्रमांक 1235-38/खनि.लि./खनिज/2018 बालोद, दिनांक 12/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 388/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 19 खदानें, क्षेत्रफल 35.352 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त 3 खदानें, क्षेत्रफल 14.73 हेक्टेयर को एल.ओ.आई. जारी की गई है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 217/खनि.लि.02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 28/08/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1808/खनि.लि.02/ई-ऑपरेशन/2019 दुर्ग, दिनांक 25/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 8 माह की अवधि तक थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत संचालक नीमिती तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 31/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 30/01/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, जिला कार्यालय (खनिज शाखा) दुर्ग के पत्र दिनांक 25/02/2019 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता श्री उमेश शर्मा, निवासी भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में

04

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 26/06/2020 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम, 42(5) के तहत उक्त प्रकरण में नियमानुसार अधिन कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना स्ताया गया है।

7. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 316(पाट), 317/1, 317/2, 317/3(पाट), 317/4 श्री महेश शर्मा नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसरा क्रमांक 316/5 के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यलय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला-दुर्ग के डायन क्रमांक/मा.वि./2019/3773 दुर्ग, दिनांक 29/06/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी ग्राम-गोडपेण्ट्री 0.8 कि. मी., स्कूल ग्राम-गोडपेण्ट्री 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल फुण्डा 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.6 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्सुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन शेषदा एवं खनन का विवरण - जिमेलीजिकल रिजर्व 5,36,750 टन, माईनेबल रिजर्व 2,93,880 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,64,474 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) एवं अतिरिक्त 1.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 4,652 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट रोमी मेकनाईज्ड मिमि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14.5 मीटर है। सपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 16,872 घनमीटर में से 11,630 घनमीटर मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्थल की भूमि पर भंडारित किया जाएगा। बैंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8.5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कृषर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लारिस्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	45,000
द्वितीय वर्ष	45,000
तृतीय वर्ष	45,000
चतुर्थ वर्ष	45,000

पंचम वर्ष	45,000
षष्ठम वर्ष	45,000
सप्तम वर्ष	22,300

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल एग्रीकल्चर बोर्डर अधीरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है।
14. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-
  - i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य दिसम्बर, 2019 से फरवरी, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
  - ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.<sub>10</sub> 28.28 से 43.58 माइक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.<sub>2.5</sub> 47.20 से 68.82 माइक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ<sub>2</sub> 9.08 से 14.63 माइक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ<sub>2</sub> 11.33 से 20.24 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।
  - iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।
  - iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48.0 डीबीए से 54.23 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.3 डीबीए से 43.24 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।
17. लोक सुनवाई दिनांक 06/02/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान - शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम-गोकुलपेण्डी, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई वरदापेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 08/03/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।
18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-
  - i. खदान से इन्स्ट उत्सर्जन अधिक होता है।
  - ii. क्लॉस्टिंग से आस-पास के ग्रामों एवं पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। क्लॉस्टिंग के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है।
  - iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों को लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपरिष्ठत प्रतिनिधि/कन्सलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. खदान के घासी तट पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।
  - ii. प्लास्टिंग कार्य सक्षम अधिकारी के अनुमति के उपरान्त किया जाएगा। प्लास्टिंग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अनुभवी कन्ट्रिक्टर की निगरानी में कन्ट्रोल प्लास्टिंग की जाएगी।
  - iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।
19. **कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कलक्टर में कुल 22 खदानें आती हैं। वर्तमान में 3 खदानों को एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिनमें से 2 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है एवं शेष 1 खदान द्वारा आवेदन अग्रस्त है। शेष 19 खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनमें द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रुचि नहीं ली जा रही है। अतः कलक्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अर्पित 3 खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

- i. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव 4 कि.मी. तक पहुँच मार्ग हेतु अनुमानित राशि 9,80,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- ii. गांव के (4 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (5,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 21,27,910/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षों के लिए वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 5,34,000/- प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।
- iii. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता को आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
- iv. सड़कों/ पहुँच मार्ग (4 कि.मी. तक) का रखरखाव (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- v. गांव के (3 कि.मी.) सड़क मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (200 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/- प्रथम वर्ष एवं आगामी दो वर्षों तक रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 50,000/- प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।
- vi. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्य हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 1,08,23,910/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- प्रथम वर्ष में राशि 35,07,910/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

*Geol*

• डस्ट सप्रेसन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), गाँव के सड़क मार्ग में वृक्षारोपण हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 18,44,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

• डस्ट सप्रेसन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु सतुर्थ वर्ष एवं प्रथम वर्ष में राशि 18,14,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. प्रथम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेसन, इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 12,86,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VIII. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्य विधानाचन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

20. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एरीथ रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव 4 कि.मी. तक पहुँच मार्गों हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गाँव के (9 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (1,000 नम) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 7,21,000/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षों के लिए वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,42,000/- प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (4 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्य हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 41,89,000/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

• प्रथम वर्ष में राशि 10,61,000/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

• आगामी चार वर्षों के लिए डस्ट सप्रेसन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 7,82,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VI. प्रथम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेसन, इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 3,40,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।



VII. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत उचित कार्य क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (पथ संशोधित) के प्रावधानों एवं मानकीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन की पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली होष समस्त 19 खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समझ विस्तार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
31	2%	0.62	Following activities at nearby Government Middle Schools, Village-Gondpentry	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Potable Drinking water Facility	0.20
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation	0.20
<b>Total</b>			<b>1.30</b>	

23. समिति को संज्ञान में यह लक्ष्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की अर्पणिका-1, फॉर्म-2, एी-सीजीसीटी रिपोर्ट, जारी स्पेण्डर्ड टीओआर, लोक सुनवाई प्रस्तावक, फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में खसरा क्रमांक 316(पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4 एवं 318/5 का उल्लेख किया गया है, जबकि एल.ओ.आई. एवं माईनिंग प्लान में खसरा क्रमांक 316(पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4 एवं 317/5 का उल्लेख है।



24. वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भू-स्वामित्व दस्तावेज में खसरा क्रमांक 318/5 का उल्लेख नहीं किया गया है तथा भूमि स्वामी द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

25. उपरोक्त गिरगलियों के आधार पर स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्त विवरण अनुसार खसरावार क्षेत्रफल दर्शाते हुये भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., छरतीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 16/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:**

समिति द्वारा नतीजा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा क्रमांक 317/5 के स्थान पर टॉकन बुटिवश खसरा क्रमांक 318/5 का उल्लेख होना बताया गया है। इस हेतु खसरावार क्षेत्रफल दर्शाते हुये भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
2. कुल आवेदित क्षेत्रफल 1.59 हेक्टेयर में कोई भी परिवर्तन नहीं होना बताया गया है। इस बाबत राफ्त पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. भूमि खसरा क्रमांक 318(पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4, 317/5 भी महेश शर्मा के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एच.ओ.आई. ने भी खसरा क्रमांक 317/5 का उल्लेख है। अतः खसरा क्रमांक 318/5 के स्थान पर खसरा क्रमांक 317/5 पड़े जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
5. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पाण्डेय विरुद्ध भारत संस्कार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-



1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ड्रापन क्रमांक 366/खनिज, 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 18 खदानें, क्षेत्रफल 36.352 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-गोडपेण्डी) का रकबा 1.59 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-गोडपेण्डी) को मिलाकर कुल रकबा 36.94 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संभालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं सार्वजनिक एन.टी.टी द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की परखनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्लायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संभालक, संभालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्मा, इन्द्रायती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स गोडपेण्डी लाइम स्टोन माईन (प्रो- भी उमेश शर्मा) की ग्राम-गोडपेण्डी, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग के खसरा क्रमांक 316(पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4 एवं 317/5 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.59 हेक्टेयर, क्षमता - 45,000 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समन्वयक निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी लाइम स्टोन माईन, ग्राम-गोडपेण्डी, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (राजिवालय का नस्ती क्रमांक 829बी)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रयोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएम/ 34758/ 2019, दिनांक 14/04/2019 द्वारा टी.जी.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएम/ 34758/ 2019, दिनांक 04/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्डिनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-गोडपेण्डी, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 354, 481(पार्ट), 493, 494, 495, 496 एवं 498, कुल क्षेत्रफल-5.04 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित कुलक्षमता क्षमता-60,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ड्रापन दिनांक 06/09/2019 द्वारा प्रकरण बी-1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड एम्स ऑफ रिफरेंस (टी.जी.आर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्फ्लायरोमेंट क्लीयरेंस आन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड

9

टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया। उत्तरदाता परिचयना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 04/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

उदानुसार परिचयना प्रस्तावक को ए.आई.ए.सी. धनतीरगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 377वीं बैठक दिनांक 17/06/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी, प्रोपराइटर विक्रियो कान्स्ट्रिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोंडपेण्डी का दिनांक 31/05/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बालासोर के मु. ज्ञापन क्रमांक 1219/खनि.लि./खनिज/2018 बालीप दिनांक 05/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 387/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 19 खदानें, क्षेत्रफल 35.352 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त 3 खदानें, क्षेत्रफल 11.28 हेक्टेयर को एल.ओ.आई. जारी की गई है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 147/खनि.लि. 02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 07/06/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1807/खनि.लि.02/ई-ऑखान/2019 दुर्ग, दिनांक 25/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया जाना बताया गया है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 354, 491(पाट), 493 आवेदक, खसरा क्रमांक 494, 495 श्री दीना कुंवर एवं खसरा क्रमांक 496 श्री धनेश दम्हानी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसरा क्रमांक 496 के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।



9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला-दुर्ग को ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2019/1573 दुर्ग, दिनांक 30/03/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-मोड़वेण्टी 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम-मोड़वेण्टी 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-फुंडा 3.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिथोलॉजिकल रिजर्व 18,38,000 टन, माइनेबल रिजर्व 12,49,176 टन एवं रिक्वरेबल रिजर्व 11,24,258 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,122 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट रोमी मेकानाईज्ड सिटि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 58,408.5 घनमीटर में से 18,776 घनमीटर मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षाच्छेपण एवं जैव 33.8125 घनमीटर मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि पर भंडारित किया जाएगा। बैंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 21 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ऊहार स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में मासु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिस्ट्रिब्यूट किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	60,000
द्वितीय	60,000
तृतीय	60,000
चतुर्थ	60,000
पंचम	60,000

#### आगामी वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्ठम	60,000
सप्तम	60,000
अष्टम	60,000
नवम	60,000
दशम	60,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है।



14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण –
- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य दिसम्बर 2019 से फरवरी 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
  - मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम<sub>2.5</sub> 26.28 से 43.58 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम<sub>10</sub> 47.2 से 86.82 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एनओ<sub>2</sub> 9.08 से 14.63 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ<sub>x</sub> 11.33 से 20.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।
  - परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।
  - परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 48 डीबीए से 64.23 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 33.3 डीबीए से 43.24 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।
17. लोक सुनवाई दिनांक 04/02/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम-गौडपेण्डी, तहसील-घटन, जिला-दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय तथा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 06/03/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।
18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-
- खदान से जस्ट उत्सर्जन अधिक होता है।
  - क्लारिफिंग से आस-पास के ग्रामों एवं पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। अंतर के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है।
  - प्राथमिकता के आधार पर संवर्धित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।
- लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-
- खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।



- ii. क्लेस्टिंग कार्य सख्त प्राधिकारी के अनुमति के उपरांत किया जाएगा। क्लेस्टिंग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अनुभवी कांटेक्टर को निगरानी में कन्ट्रोल क्लेस्टिंग की जाएगी।
- iii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

19. **बलस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बलस्टर में कुल 22 खदानें जाती हैं। वर्तमान में 3 खदानों को एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिनमें से 2 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है एवं शेष 1 खदान द्वारा आवेदन अप्राप्त है। वर्ष 19 खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनको प्राथमिकता देकर कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाने हेतु कृपि नहीं ली जा रही है। अतः बलस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित 2 खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

- I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव 4 कि.मी. तक पहुँच मार्गों हेतु अनुमानित राशि 9,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- II. गांव को (4 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (5,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 21,27,910/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षों के लिए वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 5,34,000/- प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।
- III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आकलन हेतु वैभाषिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
- IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (4 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- V. गांव को (2 कि.मी.) सड़क मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (200 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/- प्रथम वर्ष एवं आगामी दो वर्षों तक रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 30,000/- प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।
- VI. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्य हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 1,08,23,910/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- प्रथम वर्ष में राशि 36,07,910/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- इस्ट सप्लेशन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), गांव को सड़क मार्ग में वृक्षारोपण हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 18,44,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।



- डस्ट सप्रेसन, वृक्षारोपण के रख-रखाव इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु प्रत्येक वर्ष एवं पंचम वर्ष में राशि 12,14,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेसन, इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 12,80,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VIII. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्य क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

20. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 4 कि.मी. तक पहुँच मार्गों हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

II. गांव के (1 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के दोनों तरफ कम से कम दो कतार में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 7,21,000/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। आगामी चार वर्षों के लिए वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,42,000/- प्रतिवर्ष में व्यय किया जाएगा।

III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता की जांच हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,20,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।

IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (4 कि.मी. तक) का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

V. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्य हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 41,89,000/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- प्रथम वर्ष में राशि 10,81,000/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

- आगामी चार वर्षों के लिए डस्ट सप्रेसन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 7,82,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VI. पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेसन, इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 3,40,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्य क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना, 2008 (पंचा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.

जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त 19 खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौगोली तथा खनिकर्ष, इटावती मठन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्च उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
115	2%	2.30	Following activities at nearby Government High Schools, Village-Gondpendri	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Solar Panel with light facility	0.80
			Potable Drinking water Facility	0.20
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation	0.30
			<b>Total</b>	<b>2.50</b>

23. समिति के संज्ञान में यह लक्ष्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अपैडिक्स-1, पीएम-2, डी-बीजेबीलिटरी रिपोर्ट, जारी स्टैण्डर्ड टीओआर, लोक सुनवाई दस्तावेज, फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में खसरा क्रमांक 364, 491(पार्ट), 493, 494, 495, 496 एवं 498 का उल्लेख किया गया है, जबकि एल.ओ.आई. एवं माईनिंग प्लान में खसरा क्रमांक 364, 491(पार्ट), 493, 494, 495, 497 एवं 498 का उल्लेख है।

24. वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भू-स्वामित्व दस्तावेज में खसरा क्रमांक 496 का उल्लेख नहीं किया गया है तथा भूमि स्वामियों द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

25. उपरोक्त विवरणियों के आधार पर स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सत्संग्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्त विवरण अनुसार खसरावार क्षेत्रफल दर्शाते हुये नू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. एल.ओ.आई की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत जागानी कार्यवाही ली जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 16/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा क्रमांक 497 के स्थान पर टंकन जूटियस खसरा क्रमांक 496 का उल्लेख होना बताया गया है। आवेदित प्रकरण का कुल क्षेत्रफल 5.04 हेक्टेयर ही लीज स्वीकृत की गई है। उक्त बाबत खसरावार क्षेत्रफल दर्शाते हुये नू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
2. कुल आवेदित क्षेत्रफल 5.04 हेक्टेयर में कोई भी परिवर्तन नहीं होना बताया गया है। इस बाबत सपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. भूमि खसरा क्रमांक 354, 491(पाटी), 493 आवेदक, खसरा क्रमांक 494, 495 श्री दीना कुमार, खसरा क्रमांक 497 श्री सुनील कुमार एवं खसरा क्रमांक 498 श्री धनेश चम्पानी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/06/2021 द्वारा एल.ओ.आई की वैधता वृद्धि बाबत समस्त माननीय न्यायालय संचालक, भूमिहीन तथा जनिकर्न, नया रामपुर अटल नगर में आवेदन किया गया है। उक्त आवेदन में भी खसरा क्रमांक 497 का उल्लेख है। अतः खसरा क्रमांक 496 के स्थान पर खसरा क्रमांक 497 पठे जाने हेतु अनुसंधेय किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को एल.ओ.आई की वैधता वृद्धि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स श्री विजय कुमार साहू (पी-1, बकाली रोण्ड क्वारी), ग्राम-बकाली, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1530)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 194430 / 2021, दिनांक 22 / 01 / 2021।



प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेल खदान (वीच खनिज) है। यह खदान ग्राम-बकाली, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सुरजपुर स्थित घसरा क्रमांक 1508 एवं 1487, कुल क्षेत्रफल-21 हेक्टर में प्रस्तावित है। उत्खनन गेरुया नाला नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 42,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण -**

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नसीब एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्रों (200 मीटर एवं 500 मीटर आदि) की जानकारी जायक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का रिड बनाकर, वर्तमान में रेल सतह के लेवल (Levels) लेकर रिड में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। रिड में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, जे-ई खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माइनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
6. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेल की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभावात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभावात

निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही मुआवजा की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वारसाधिक भाऊ की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

हदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (4) समिति की 362वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय कुमार साहू, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बकातो का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्हांकित/सीमांकित — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना — जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के आपन क्रमांक/92/खनिज/2021 कोरिया बैथुन्कपुर, दिनांक 18/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के आपन क्रमांक/खनिज/2021/सूरजपुर/153, दिनांक 13/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के आपन क्रमांक/खनिज/2021/सूरजपुर/153, दिनांक 13/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार सजा खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, मंदिर, मस्जिद, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रभावित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. श्री विजय कुमार साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के आपन क्रमांक /1077/ गौ.ख.रे./रि.ओ./च.क्र.20/2020 सूरजपुर, दिनांक 25/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 8 माह हेतु वैध है।

*(Handwritten Signature)*

7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./4989 सूरजपुर, दिनांक 08/02/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-बकाली 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम-बकाली 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल प्रेमनगर 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 60 कि.मी. दूर है। एबीकट खदान से 528 मीटर की दूरी पर डारुनस्ट्रीम में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल स्थित नहीं है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अन्ताराष्ट्रीय, जैववैविध्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 50 मीटर, न्यूनतम 16 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 822 मीटर, न्यूनतम 868 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 45 मीटर, न्यूनतम 18 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 5 मीटर, न्यूनतम 4 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 42,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसकी अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण – इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर की ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 25/11/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को समझ विस्तार से धर्मा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-



Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16	2%	0.32	Following activities at Nearby Government Primary School Junapara Village- Bahalo	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.15
			<b>Total</b>	<b>0.75</b>

16. नदी नार्डनिंग क्षेत्र - नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 50 मीटर न्यूनतम 16 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 5 मीटर, न्यूनतम 4 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। अतः खनन क्षेत्र की नदी तट से दूरी नदी की चौड़ाई के अनुक्रम 7.5 मीटर छोड़कर नदी नार्डनिंग क्षेत्र की गणना को शामिल करते हुए संशोधित नार्डनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. खनन क्षेत्र को 100 मीटर-100 मीटर की लंबाई में विभाजित कर, खदान की नदी तट के किनारे से दूरी को प्रदर्शित कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. नार्डनिंग प्लान में उपरोक्त को आधार पर संशोधन कराकर, नदी नार्डनिंग क्षेत्र एवं अपवशेष नार्डनिंग क्षेत्र की गणना कर संशोधित नार्डनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्राप्य दिनांक 18/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 19/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

समिति द्वारा गवर्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. खनन क्षेत्र को 100 मीटर-100 मीटर की लंबाई में विभाजित कर, खदान की नदी तट के किनारे से दूरी को प्रदर्शित कर दिनांक 29/11/2020 को टोटल स्टेशन सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
2. रिवाईज्ड गवर्ती प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के प्राप्य क्रमांक/944/खनिज/उ.यो.अनु./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 23/08/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 50 मीटर, न्यूनतम 16 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 5 मीटर, न्यूनतम 4 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत

दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। संशोधित माइनिंग प्लान की अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 5,824 वर्गमीटर नैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 1,517 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

3. रेत उत्खनन मैन्युअल विधि से एवं महसई का कार्य लीडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
4. परियोजना प्रसाधक द्वारा 2 मीटर की महसई तक उत्खनन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मैक्का नाला नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर महसई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. आवंटित खदान (घाम-बकालो) का रकबा 2:1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी नहीं।
2. वृक्षारोपण कार्य - प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे - 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जाएंगे।
3. परियोजना प्रसाधक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Siltation Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधक सभी आंकड़े, रेत उत्खनन व नदी, नदीतट, स्थानीय जनस्पर्धि, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. लीड क्षेत्र की सतह का बेसलाइन डाटा -
  - i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं स्थित बिन्दुओं में माइनिंग लीड क्षेत्र तथा लीड क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीड के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित स्थित बिन्दुओं पर किया जायेगा।
  - ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरान्त मानसून के पूर्व (गई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं स्थित बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
  - iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित स्थित बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एसईआईएए, खसीसगड की प्रस्तुत किए जाएंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से मैसर्स बकालो रोपड ज्वारी (प्रे- श्री विजय कुमार साह), खसरा क्रमांक 1508 एवं 1487, घाम-बकालो,



तहसील-प्रेमनगर, जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 2.1 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 5.824 वर्गमीटर क्षेत्र कम करके 1.517 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-05 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई धमिले द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी गाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लॉडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अयस्क माईनिंग क्षेत्र का सीके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन करने के उपरान्त ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
7. आवेदक द्वारा प्री-मानसून 2021 का सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का पोस्ट-मानसून सर्वे कर, उसके आंकड़ों तत्काल एस.ई.आई.ए.ए. घाटीसंगठ को प्रस्तुत किये जायें।

राज्य स्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) घाटीसंगठ को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेसाई जयशामनगर लाईम स्टोन क्वारी (प्री- श्री त्रिलोक चंद शर्मा), ग्राम-जयशामनगर, तहसील-गरसुरी, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1690)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएम/ 213636/2021, दिनांक 01/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संमालित बूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जयशामनगर, तहसील-गरसुरी, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 774/1, कुल क्षेत्रफल-0.809 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 5,250 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक की एस.ई.ए.सी., घाटीसंगठ को आपन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 377वीं बैठक दिनांक 17/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री त्रिलोक चंद शर्मा प्रोपराईटर विडियो कॉन्फेरेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में बूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 774/1, कुल क्षेत्रफल - 0.809 हेक्टेयर, क्षमता - 5,250 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-बिलासपुर द्वारा दिनांक

30/12/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 21/08/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

- ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1330/3/ख.लि./न.क्र./2019 बिलासपुर दिनांक 19/11/2019 द्वारा श्री मनमोहन शर्मा आ श्री विशम्भर दयाल शर्मा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री जिलोक चंद्र शर्मा के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।
- iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iv. निर्धारित शर्तानुसार 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।
- v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के डायन क्रमांक 2833/ख.लि./न.क्र./2021 बिलासपुर दिनांक 16/03/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वित्तीय वर्ष	उत्खनन (टन)
2010-11	3.330
2011-12	3.705
2012-13	3.220
2013-14	4.415
2014-15	3.245
2015-16	3.345
2016-17	4.595
2017-18	5.205
2018-19	2.555
2019-20	1.400

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जयशमनगर का दिनांक 13/08/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - सीएम अफि नवारी एंटीग मिथ क्वारी बलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख. प्रशा.), जिला-बिलासपुर के डायन क्रमांक 778/ख.नि./सू.प./स.यो./2021 बिलासपुर दिनांक 21/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के डायन क्रमांक 2835/ख.लि./न.क्र./2021 बिलासपुर दिनांक 16/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 2.688 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाररहीन खदान के सीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों से 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (पश्चा संशोधित) में परिभाषित कलक्टर अनुसार "कोई कलक्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक सीज के परिसरों को बीच दूरी उस संपूर्ण खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् कलक्टर हेतु होमोपिनिवस मिनेरल क्षेत्र में विचाररहीन खदान के सीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इन

प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा को 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलक्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के प्रापण क्रमांक 2834/ख.लि./न.प्र./2021 बिलासपुर, दिनांक 18/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, स्कूल, पुल, बांध, एबीकॉट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. लीज का विवरण – पूर्व में लीज श्री मनमोहन शर्मा के नाम पर थी। सत्यवधातु लीज का हस्तांतरण दिनांक 25/01/2020 को श्री विलोक चंद शर्मा के नाम पर किया गया है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/08/1994 से 21/08/2024 तक की अवधि हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-टिकमनाल 2 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-जयशामलगर 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.5 कि.मी. दूर है। अरघा नदी 8 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलाजिकल रिजर्व 1,36,587 टन, मर्चनेबल रिजर्व 21,000 टन एवं रिक्वैरेबल रिजर्व 18,900 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,500 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेन्टी मेलैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 4 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कचरा स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं म्हास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। सर्वेदार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	5,250
द्वितीय वर्ष	5,250
तृतीय वर्ष	5,250
चतुर्थ वर्ष	5,250

*Cal*



11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा शाम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत शाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 180 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के 2060 वर्गमीटर क्षेत्र में 155 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया जा चुका है। उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःमराव कर वृक्षारोपण का कार्य किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
14. **उत्तेजनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नील गोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (a) के अनुसार-**
- “Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.”
- उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा पी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सक्षम विस्तार से बर्बा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36	2%	0.72	Following activities at Government Primary School, Village – Khaira Jairamnagar	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation with fencing	0.20
			<b>Total</b>	<b>0.80</b>

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तुत 500 मीटर की प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ईआईए, नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समूह बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उक्त सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपराल अगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्राप्य दिनांक 28/06/2021 के परिषेध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:**

समिति द्वारा मस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. कार्यालय क्लस्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के प्राप्य क्रमांक 1020/ख.नि./न.प्र./2021 बिलासपुर, दिनांक 23/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें क्षेत्रफल 2.666 हेक्टेयर है।

2. परियोजना प्रस्तावक को पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के परिषेध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि वर्तमान में वर्षा होने के कारण से खदान में 15-20 फीट तक वर्षाजल का भराव हो गया है। अतः 3 माह पश्चात् उक्त संश्लिष्ट जल के निकरती होने पर पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर 180 मन वृक्षारोपण का कार्य किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. रियाईपब्ल स्कीम ऑफ क्वारी एंलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संशालन (ख.प्रशा.) जिला-बिलासपुर के प्राप्य क्रमांक 1254/ख.नि./वृ.प./उ.गो/2021 बिलासपुर दिनांक 19/07/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार डियांलीजिकल रिजर्व 1,78,182 टन, माइनेबल रिजर्व 21,000 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 18,900 टन है।

4. जल की आपूर्ति हेतु राम पंचायत जयरामनगर का दिनांक 16/07/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल सैद, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र मान्देय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिएन्टल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एव अन्व) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1020/ख.लि./स.क्र./2021 बिलासपुर दिनांक 23/06/2021 को अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 2.696 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-जयरामनगर) का रकबा 0.809 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-जयरामनगर) की मिलाकर कुल रकबा 3.475 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संश्लेषित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स जयरामनगर स्टाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री विलोक चंद शर्मा) की ग्राम-जयरामनगर, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर के खसरा क्रमांक 774/1 में स्थित गुना पत्थर (गीण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.809 हेक्टेयर, क्षमता - 5,250 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-06 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।
3. पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभरण कर पुनरोपयोग का कार्य 4 माह के भीतर पूर्ण कर कोटोद्योग सहित जानकारी एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत की जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री राजाराम सिंह (टी-1, सल्का सेण्ड मार्टिन), ग्राम-सल्का, तहसील-ब्रेमनगर, जिला-सुरजपुर (सचिवालय का नक्का क्रमांक 1531)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एम्आईएन / 194285 / 2021, दिनांक 23 / 01 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गीण खनिज) है। यह खदान ग्राम-सल्का, तहसील-ब्रेमनगर, जिला-सुरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 356, कुल क्षेत्रफल-3.56 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन अटेम नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 71,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11 / 02 / 2021।

समिति द्वारा प्रमाण की जाती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा वार्षिक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्रों (200 मीटर एवं 500 मीटर आदि) की जानकारी जांचक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपरस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह की लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दीनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह की स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायें। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपर्युक्त फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जायें। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मीकें पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाधक जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपरस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आकार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उसका मीकें पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जांचने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु संयोजना भी प्रस्तुत किया जायें।
7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात नियंत्रण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात नियंत्रण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

*(Signature)*

9. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) की साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एराई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के डायन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 362वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल राजवाड़े अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौ, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडिंग एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सलका का दिनांक 24/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. किन्दाकित/सीमाकित — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान किन्दाकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना — बकारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के पृ.क्रमांक/80/खनिज/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के डायन क्रमांक/खनिज/2021/सुरजपुर/155, दिनांक 14/04/2021 के अनुसार अपेक्षित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के डायन क्रमांक/खनिज/2021/सुरजपुर/155, दिनांक 14/04/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, एनीकट मंदिर मस्जिद, मस्जिद, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. श्री राजाराम सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के डायन क्रमांक /1118/ गी.खरे/दि.अ./म.क्र.30/2020 सुरजपुर, दिनांक 01/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सुरजपुर वनमण्डल, जिला-सुरजपुर के डायन क्रमांक/मा.दि./4001 सुरजपुर, दिनांक 23/11/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. गहरवपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-सलका 0.5 कि.मी. स्कूल ग्राम-सलका 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल प्रेमनगर 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 60 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - अधिकतम 100 मीटर, न्यूनतम 65 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 1025 मीटर, न्यूनतम 1015 मीटर एवं चौड़ाई - अधिकतम 42 मीटर, न्यूनतम 27 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 25 मीटर, न्यूनतम 14 मीटर है।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा - 71,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पत्राचार भी प्रस्तुत किया गया है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंथा 25 मीटर के विद्य विन्दुओं पर दिनांक 24/11/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
26-27	2%	0.52	Following activities at Nearby Government Primary School Mudsapara Village- Saika	

			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.15
			<b>Total</b>	<b>0.75</b>

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि आवेदन एवं माइनिंग प्लान में दिये गये को-ऑर्डिनेट्स को अनुसार प्रस्तावित शीत क्षेत्र नदी तट से बाहर स्थित होना प्रतिपादित हो रहा है। अतः तला के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित लीज क्षेत्र की बारापट्टी को KML File में प्रदर्शित कर, प्रमाणित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के डायन दिनांक 18/05/2021 को परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित लीज क्षेत्र की बारापट्टी को KML File में प्रदर्शित कर, प्रमाणित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर द्वारा दिनांक 11/07/2021 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार अक्षांश एवं देशांश को गूगल में प्रदर्शित करती हुए खदान चिन्तांकित/सीमांकित कर घोषित किये जाने की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं मराई का कार्य शीजर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःनर्ण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अटेम नदी छोटी नदी है तथा इसमें धर्माण्डल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःनर्ण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. आवेदित खदान (घान-सल्फा) का रकबा 3.55 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. दुसरोपण कार्य - प्राथमिकता के अन्तर्गत पर नदी तट पर कुल 1,700 नम पीछे - 850 नम अर्जुन के पीछे तथा शेष 850 नम (जामुन, करंज, बंस, आम आदि) पीछे लगाए जायेंगे। इनके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 800 नम पीछे लगाए जायेंगे।

*aw*

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Situation Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) कायम रही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीताल, स्थानीय जनसंघति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –

- मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने को पूर्व) इन्ही बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित बिन्दुओं पर किया जावेगा।
- इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
- रेत सतह को पूर्व निर्धारित बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एसईआईएए, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स सत्या सेण्ड माईनिंग (प्रो- श्री राजाराम सिंह), खसरा क्रमांक 356, ग्राम-सल्का, तहसील-ब्रह्मनगर, जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 355 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 35,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-07 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई भूमिका द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी याहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. आवेदक द्वारा प्री-मानसून 2021 का सर्वे नहीं किया गया है। अतः रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का पोस्ट-मानसून सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री जितेन्द्र कुमार साहू (कागदेही सेण्ड माईनिंग), ग्राम-कागदेही, तहसील-आरग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1569)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 199637 / 2021, दिनांक 23 / 02 / 2021।



प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-कानदेही, तहसील-आरम, जिला-समपुर स्थित खसरा क्रमांक 2400, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 360वीं बैठक दिनांक 01/03/2021

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी की घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का सिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर सिड में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायें। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। सिड में टेम्पररी बेच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपनात फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी की घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान को कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जायें। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नक्शे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाधक जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका नक्शे पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाधक उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड़दा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जायें।
6. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिशेषित शर्तों के पालन में



- की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
  8. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
  9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को पत्र एवं ई-मेल क्रमांक दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

#### (ब) समिति की 365वीं बैठक दिनांक 01/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शाहिद अली, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

#### 1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत कामदेही के नाम से रेत खदान छसरा क्रमांक 2400, क्षेत्रफल 8 हेक्टर, क्षमता- 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निर्धारण प्राधिकरण, जिला-रायपुर द्वारा दिनांक 28/02/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 14/02/2019 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत कामदेही को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री जितेन्द्र कुमार राहु के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।
- iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। ग्राह अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- iv. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
- v. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कामदेही का दिनांक 21/04/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित क्षेत्र घोषित है।

4. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संघालक (ख.प्र), संघालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के आपन

aw

क्रमांक 1109/खनि02/रेल/उ.पी.अनु./न.क.01/2021 तथा रायपुर, दिनांक 23/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के शासन क्रमांक 1238/खनि/न.क./2021 रायपुर दिनांक 03/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य रेल खदानों की संख्या निरक्ष है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के शासन क्रमांक 1238/खनि/न.क./2021 रायपुर, दिनांक 03/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बाघ, एनीकट, मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. लीज डीड का विवरण - लीज श्री जितेन्द्र कुमार साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के शासन क्रमांक क/खनि./लीज-6/2019 रायपुर, दिनांक 23/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष (दिनांक 24/10/2019 से दिनांक 23/10/2021) हेतु वैध है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. महत्वपूर्ण सरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-कानदेही 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-कानदेही 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 कि.मी. एवं राजमार्ग 23 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेल खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैवमंडीय प्रवृत्तय निबंधन बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली थैन्सुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - अधिकतम 688 मीटर, न्यूनतम 830 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 268 मीटर, न्यूनतम 268 मीटर एवं चौड़ाई - अधिकतम 197 मीटर, न्यूनतम 197 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 145 मीटर, न्यूनतम 113 मीटर है।
12. खदान स्थल पर रेल की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेल की मोटाई- 3 मीटर तथा रेल खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेल की मात्रा - 1,00,000 घनमीटर है। रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेल सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेल की उपलब्ध औसत मोटाई 2 मीटर है। रेल की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

*(Signature)*

13. खदान क्षेत्र में रेत सतह को लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुणा 25 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 04/02/2021 को रेत सतह को वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के सम्मक्ष विस्तार से धर्षा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
81.89	2%	1.24	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Kagdehi	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Solar Power System for Light	0.75
			Running water facility for Toilets	0.15
<b>Total</b>			<b>1.25</b>	

15. सुव्यवस्था कार्य – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 मग पीछे – 1,250 मग अर्जुन के पीछे तथा शेष 1,250 मग (जामुन, फरज, बांस, आम आदि) पीछे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुँच मार्ग पर 1,000 मग पीछे लगाए जायेंगे।

समिति द्वारा वक्तव्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैठ रीक (Bed Rock) को ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (पंचनामा सहित) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के माध्यम दिनांक 02/06/2021 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधिति गई गई—

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत साइट की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pits) खोकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, पंचनामा सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की मोटाई 4 मीटर है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित कर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोप्राम्प सहित प्रस्तुत की गई है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक ए/ख.ति. /तीन-8/2021 रायपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2019-20	22,000
2020-21	41,000

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।
5. रेत उत्खनन में नुअल विधि से एवं भर्राई का कार्य जोखर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुन-भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में समान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिका रेत का पुन-भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आलोचित खदान (घान-जानदेही) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. वृक्षारोपण कार्य — प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 3,500 नग पौधे — 1,750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,750 नग (जामुन, करंज, बांस आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहलू मार्ग पर 700 नग पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुन-भरण (Replenishment) बाधत नहीं आसकड़े, रेत उत्खनन का नदी नदीताल स्थानीय वनस्पति, जैव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सकें।

#### 4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा -

- i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (घाँसी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्ण निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।
  - ii. इसी प्रकार रेत खनन उपशांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
  - iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एसईआई.ए.ए. फ्लोसागड को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपशांत सर्वेक्षणाति से मेरसत कागदेही सेण्ड माईन (प्रो.- श्री जितेन्द्र कुमार साहू), खसरा क्रमांक 2400, ग्राम-कागदेही, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की महलाई तक सीमित रखते हुए, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-08 में वर्णित शर्तों को अधीन दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई अभियों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में सिवाय रेत खुदाई गड्ढों (Excavation pits) से लीडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एसईआई.ए.ए.) फ्लोसागड को कवानुसार सूचित किया जाए।

9. मेरसत बारबरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड छिरालेवा-बी (प्रो.- श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल), ग्राम-छिरालेवा, तहसील-बसना, जिला-महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1603)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एम्आईएन / 203439/2021, दिनांक 14/03/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कानियां होने से आपन दिनांक 22/03/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मांछित जानकारी दिनांक 26/03/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है। यह पूर्व से संचालित पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-छिरालेवा, तहसील-बसना, जिला-महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 87, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 71,351 टन प्रतिवर्ष से 1,43,840 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एसई.ए.सी. फ्लोसागड के आपन दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

## बैठकों का विवरण -

### (अ) समिति की 370वीं बैठक दिनांक 27/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आनंद राजकुमार अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि विधिको कान्फेरेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

#### 1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में सहायक पत्थर खदान खसरा क्रमांक 07, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, क्षमता-71.351 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण सभागत निर्धारण प्रधिकरण, छतरिसगाड़ द्वारा दिनांक 31/12/2019 को जारी की गई। यह स्वीकृति 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा, जिला-महाराजगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 408/क/ख.लि./अ.अनु./न.क./21 महाराजगढ़, दिनांक 08/03/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

दिनांक	उत्पादन (घनमीटर)
13/03/2020 से 30/06/2020 तक	10,191
01/07/2020 से 31/12/2020 तक	29,200

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोटनदरहा का दिनांक 12/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - माडिकाईड क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी कंट्रोलर प्लान एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.ज), संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, भाग रायपुर अटल भगर की ज्ञापन क्रमांक 388/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.02/2019 तथा रायपुर, दिनांक 25/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महाराजगढ़ के ज्ञापन 1872/क/अ.अनु.अ/ख.लि./न.क./2018 महाराजगढ़, दिनांक 18/09/2019 के अनुसार अधिदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, 3.2 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विधायकीय खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (जमा सशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिधियों के बीच पूरी उस संपूर्ण खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिधियों से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विधायकीय खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य

- खानी खदानों को (कलस्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महाराष्ट्र के आण 1414/क/अस्थाई अनुज्ञा/खनिज/म.ज./2018 महाराष्ट्र, दिनांक 16/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनोकेट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
  6. लीज का विवरण - भूमि शासकीय भूमि है। लीज श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीक 2 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/03/2020 से 12/03/2022 तक की अवधि हेतु वैध है।
  7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) भी प्रति प्रस्तुत की गई है।
  8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला-महाराष्ट्र के आण कनांक/मा.वि./खनिज/2073 महाराष्ट्र दिनांक 22/08/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
  9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-छिरालेवा 0.25 कि.मी., स्कूल ग्राम-छिरालेवा 0.55 कि.मी. एवं अस्पताल सराईपाली 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है।
  10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
  11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिपसोलॉजिकल रिजर्व 3,43,226 टन, भाईनेबल रिजर्व 1,51,368 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,43,798 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,840 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सीमा में सेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,136 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बैंक की चौड़ाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में करार स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं स्टास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,43,840
द्वितीय	7,454

*(Handwritten Signature)*



12. **जल आपूर्ति** — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** — लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 822 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** — प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग उत्खनित है। उपरोक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभरण किया गया है। वृक्षारोपण का कार्य होच है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.20	2%	0.36	Following activities at Gram Panchayat Bhawan School, Village - Kotendaria	
			Rain Water Harvesting System	0.25
			Plantation	0.15
			<b>Total</b>	<b>0.50</b>

16. यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई शर्तोंवाली की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर से मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्त विवरण अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शान्ति) द्वारा उक्त खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत सी.ई.आर. के प्रस्ताव का कार्यपुर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र के चारों ओर उत्खनित 7.5 मीटर क्षेत्र में किये गये पुनःभरण क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

*(Handwritten Signature)*

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
6. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के जापन दिनांक 28/08/2021 के परिपेक्ष्य में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज आगामी दिनांक 26/07/2021 एवं 31/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

#### (ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. कार्यालय कनेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के जापन 1111/क/खलि/अ.आ./न.क्र./2021 महासमुद्र, दिनांक 28/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 3.2 हेक्टेयर है।
2. खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निषिद्ध खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति मार्केट से क्रय (Packed drinking water) करके की जाएगी।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत सी.ई.आर. के प्रस्ताव अंतर्गत रेन वॉटर हार्बरिस्टिंग का कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा रेन वॉटर की शुद्धि के संबंध में कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. सीज क्षेत्र के शरों और उत्खनित 7.5 मीटर क्षेत्र में किये गये पुनःस्थाप क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर के जापन दिनांक 26/07/2021 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 3 शर्तों (शर्त क्रमांक 2, 3 एवं 5) का आंशिक पालन बताया गया है एवं 5 शर्तों (शर्त क्रमांक 7, 15, 16, 21 एवं 29) का पालन नहीं किया गया है।
6. उपरोक्त पालन नहीं किये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में समिति का मत है कि शर्तों का पूर्णतः पालन किये जाने के उपरान्त ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. उपरोक्त दिये गये दिवशानुसार आंशिक पालन एवं पालन नहीं किये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में पूर्णतः पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।



2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार बीच चार्जिंग उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। अतः उक्त के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्मा को अनुरोध किया जाए।
3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्मा को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाए।

10. मेसर्स चंगोरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री मनोज कुमार अग्रवाल), ग्राम-चंगोरी, तहसील-लुण्डा, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 939)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजल नम्बर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/40712/2019, दिनांक 06/08/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजल नम्बर - एसआईए/सीजी/एमआईएन/40712/2019, दिनांक 10/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित घुना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-चंगोरी, तहसील-लुण्डा, जिला-सरगुजा खसरा क्रमांक 25/119, 25/120 एवं 25/28 कुल क्षेत्रफल - 1.236 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आगेदित उत्खनन क्षमता - 19,629 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के शासन दिनांक 05/02/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जून, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्न ऑफ रिजर्व (टीओआर) फॉर ई.आई.ए/ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिजर्वारिंग इम्प्लायमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक चुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज कुमार अग्रवाल, प्रोपराईटर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चंगोरी का दिनांक 20/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4

3. **उत्खनन योजना** - क्वारी प्लान, इन्फ्राथरोमेट मीनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी कलेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला-सरगुजा के जापन क्रमांक 982/खनिज/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 10/06/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के जापन क्रमांक 1046/खनिज/खति.1/उप./2021 अम्बिकापुर, दिनांक 11/06/2021 के अनुसार अर्जित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 18 खदानें, क्षेत्रफल 15771 हेक्टेयर हैं। इसके अतिरिक्त 4 खदानें, क्षेत्रफल 4246 हेक्टेयर को एल.ओ.आई. जारी की गई है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के जापन क्रमांक 981/खनिज/ख. ति.3/ई-सेक्टर/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 29/07/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, नरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति अदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** - एल.ओ.आई. संचालक भूमिकी तथा खनिकर्म्म, नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर के जापन क्रमांक 5239/खनि02/उ.प.-अनु.निष्ठा./न.क्र. 80/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27/09/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैबला जारी दिनांक से 6 माह की अवधि अर्थात् 18/03/2020 तक थी। एल.ओ.आई. की कैबला वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक भूमिकी तथा खनिकर्म्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 32/2020 द्वारा जारी पारित आवेदन दिनांक 25/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "विवेचना के आधाप पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, जिला कार्यालय (खनिज शाखा) सरगुजा के पत्र दिनांक 20/03/2019 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल, निवासी अम्बिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 26/06/2020 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ नौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत उक्त प्रकरण में नियमानुसार अधिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला सरगुजा को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" इना बताया गया है।
7. **भू-स्वामिध्व** - भूमि खसरा क्रमांक 25/119 श्री प्रदीप, श्री अशोक, श्री सुरेश, श्री सुरेश, सुश्री प्रमीला, सुश्री प्रीति एवं खसरा क्रमांक 25/120 खसरा क्रमांक श्री सुरील तथा खसरा क्रमांक 25/28 सुश्री अलविना के नाम से है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामिधों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के जापन क्रमांक/उक.अधि./4587 अम्बिकापुर, दिनांक





## 16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य 15 दिसम्बर, 2019 से 15 मार्च, 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सराही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
  - ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.<sub>10</sub> 18.8 से 38 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.<sub>2.5</sub> 56.4 से 69.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ<sub>2</sub> 4.31 से 9.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ<sub>x</sub> 12.4 से 20.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उच्च क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।
  - iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।
  - iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 43.8 डीबीए से 49.3 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 36.5 डीबीए से 42.1 डीबीए पाया गया। जो उच्च क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।
17. लोक सुनवाई दिनांक 09/04/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान - पंचायत भवन, बंगोरी, तहसील-सुम्ना, जिला-सरगुजा में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई इस्तामोल सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 09/06/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।
18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- i. वाहनों के परिष्कृत से प्रदूषण होगा इस हेतु जल छिड़काव किया जाना चाहिए।
- ii. स्कूलों में जल की व्यवस्था नहीं है।
- iii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कॉन्सल्टंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
- ii. ई.आई.ए. के तहत स्कूलों में पेयजल एवं शौचालय हेतु जल व्यवस्था की जाएगी।
- iii. शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

19. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 22 खदानें आती हैं। वर्तमान में 4 खदानों की एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है एवं 2 खदानों की लीज की अवधि समाप्त हो गई है।

शेष 16 खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रुचि ली जा रही है। अतः क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित खदान द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है—

- I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिष्कृतन के दौरान सड़कों/एग्रोच रोड के उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव 6.55 कि.मी. स्थानीय सड़कों एवं 4.45 कि.मी. तक पहुँच मार्ग हेतु अनुमानित राशि 4,95,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- II. गाव के (6.55 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के एक तरफ कम से कम दो कतार में (3,700 मग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 16,57,520/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में अनुमानित राशि 3,08,000/- प्रतिवर्ष, चतुर्थ वर्ष में अनुमानित राशि 2,89,500/- तथा पंचम वर्ष में अनुमानित राशि 1,80,000/- व्यय की जाएगी।
- III. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Quarterly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट हेतु अनुमानित राशि 1,60,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
- IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (4.45 कि.मी. तक) के संभारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- V. स्थानीय रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- VI. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्य हेतु प्रथम पाँच वर्षों में कुल राशि 75,18,020/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

- प्रथम वर्ष में राशि 26,12,520/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- इस्ट सप्लेशन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संभारण (Road Maintenance), स्थानीय रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 12,83,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- इस्ट सप्लेशन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संभारण (Road Maintenance), स्थानीय रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु चतुर्थ वर्ष में राशि 12,44,500/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- इस्ट सप्लेशन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संभारण (Road Maintenance), स्थानीय रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु पंचम वर्ष में राशि 11,36,000/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।



- प्रथम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेसन, इन्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संभारण (Road Maintenance) हेतु राशि 8,55,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VII. कॉमन इन्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

20. कॉमन इन्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

- I. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एग्रोप रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 0.5 कि.मी. तक पहुँच मार्ग हेतु अनुमानित राशि 1,80,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- II. खदान के माईन बाउण्ड्री में (870 मग) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 3,12,492/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में अनुमानित राशि 2,03,850/- प्रतिवर्ष, चतुर्थ वर्ष में अनुमानित राशि 1,99,500/- तथा पंचम वर्ष में अनुमानित राशि 90,000/- व्यय किया जाएगा।
- III. परिवेष्टीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के अंकलन हेतु त्रैमासिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 40,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
- IV. सड़कों/ पहुँच मार्ग (0.5 कि.मी. तक) का संभारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 80,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- V. खदान के भूमिकों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु अनुमानित राशि 80,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- VI. माईन गेट हेतु अनुमानित राशि 15,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- VII. कॉमन इन्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्यों हेतु प्रथम पांच वर्षों में कुल राशि 27,25,992/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- प्रथम वर्ष में राशि 8,58,492/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेसन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संभारण (Road Maintenance), खदान के भूमिकों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 5,43,850/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेसन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संभारण (Road Maintenance), खदान के भूमिकों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु चतुर्थ वर्ष में राशि 5,39,500/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- डस्ट सप्रेसन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संभारण (Road Maintenance), खदान के

*cal*



भूमिकों के लिए होल्ड रोकअप कोम्प हेतु पंचम वर्ष में राशि 4,30,000/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

- पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्लेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एवं सड़क/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 2,80,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान को तहत उक्त कार्यो के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं नाननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की परखनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्न, इंदरावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को समझ विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39.5	2%	0.79	Following activities at Government Middle School, Village-Changori	
			Rain Water Harvesting System	1.32
			Potable Drinking Water Facility with 5 years AMC	0.20
			Running Water Facility for Toilets	0.15
			Plantation with fencing	0.15
<b>Total</b>			<b>1.82</b>	

*(Handwritten Signature)*

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु समस्त खदानों का सहमति पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/प्रस्तावक दिनांक 31/07/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. स्कूल में पेयजल की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त निधि के साथ, संशोधित सी.ई.आर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39.5	2%	0.79	Following activities at Government Middle School, Village-Changori	
			Rain Water Harvesting System	1.32
			Potable Drinking Water Facility with 5 years AMC	0.37
			Installation of 2 Water Tank of 1000 Liter each and electric Pump, Fitting & Plumbing	1.00
			Running Water Facility for Toilets	0.05
<b>Total</b>			<b>2.74</b>	

2. आवेदित खदान की कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में वृक्षारोपण कार्य हेतु शासकीय स्तर पर वन विभाग, सूरजपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये एस्टीमेशन के आधार पर क्लस्टर की पांच वर्षीय संशोधित कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है-
  1. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 5.55 कि.मी. घामीय सड़कों एवं 4.45 कि.मी. तक पहुँच मार्गों हेतु अनुमानित राशि 4,55,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

- ii. गांव के (5.55 कि.मी. तक) पहुँच मार्ग के एक तरफ कम से कम दो कलार में (3,700 नम) वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 18,94,155/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में अनुमानित राशि 3,10,555/- प्रतिवर्ष, चतुर्थ वर्ष में अनुमानित राशि 2,92,055/- तथा पंचम वर्ष में अनुमानित राशि 1,80,000/- व्यय की जाएगी।
- iii. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु आर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा। इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 1,60,000/- प्रतिवर्ष व्यय की जाएगी।
- iv. सड़कों/ पहुँच मार्ग (4.45 कि.मी. तक) के संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- v. स्थानीय रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।
- Viii. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्य हेतु प्रथम पाँच वर्षों में कुल राशि 77,82,320/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-
- प्रथम वर्ष में राशि 28,49,155/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
  - डस्ट सप्रेसन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), स्थानीय रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में राशि 12,85,555/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
  - डस्ट सप्रेसन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), स्थानीय रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु चतुर्थ वर्ष में राशि 12,47,055/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
  - डस्ट सप्रेसन, वृक्षारोपण के रख-रखाव, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग, सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance), स्थानीय रहवासियों के लिए हेल्थ चेकअप केम्प हेतु पंचम वर्ष में राशि 11,35,000/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
  - पंचम वर्ष के बाद आगामी वर्षों में डस्ट सप्रेसन, इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग एवं सड़कों/ पहुँच मार्ग के संधारण (Road Maintenance) हेतु राशि 9,55,000/- प्रतिवर्ष व्यय करना प्रस्तावित किया गया है।
- vi. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति प्राप्त की गई।
3. आवेदित खदान की संरोधित कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान की कलक्टर में जाने वाले सदस्यों द्वारा सम्मिलित रूप से चूना पत्थर खदान / कोरर संघ सराजुजा की देख-रेख में अनुपालन हेतु आश्वासन के संबंध में, अध्यक्ष कोरर संघ द्वारा दिनांक 31/07/2021 को जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. माननीय एन.जी.टी. विधिमाल बेच् नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 जीफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in Process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय क्लस्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के आपन क्रमांक 1046/खनिज/खनि.1/स.प./2021 अम्बिकापुर, दिनांक 11/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 22 खदानें, क्षेत्रफल 20.017 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घाम-बंगोरी) का रकबा 1.235 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-बंगोरी) को मिलाकर कुल रकबा 21.252 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक संचालनालय, भीमिचौड़ी तथा खनिकर्म इंडावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स बंगोरी लाईन स्टोन माईन (प्रो.- श्री मनोज कुमार अग्रवाल) की घाम-बंगोरी, तहसील-तुण्ड्रा, जिला-सरगुजा के खसरा क्रमांक 25/119, 25/120 एवं 25/28 में स्थित चूना पत्थर (मीण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.235 हेक्टेयर, क्षमता - 10.629 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-09 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-4: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

1. मेसर्स धंधापुर रोण्ड गाईन (प्रो.- श्री संजय कुमार अग्रवाल), ग्राम-धंधापुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1716)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 217092/ 2021, दिनांक 29/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (पीप खनिज) है। यह खदान ग्राम-धंधापुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज स्थित पार्ट ऑफ खस्ता क्रमांक 24, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महान नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 99,780.3 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के आपन एवं ई-मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धंधापुर का दिनांक 02/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - ब्यारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के पृ आपन क्रमांक 851/खनिज/2021 कोरिया, बैंगुन्डपुर, दिनांक 08/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के आपन क्रमांक 331/खनिज/2021 बलरामपुर, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के आपन क्रमांक 329/खनिज/2021 बलरामपुर, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिष्ठित क्षेत्र निर्मित नहीं है।



7. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के आपन क्रमांक 309/गीण खनिज/रेत नीलामी/2021 बलरामपुर दिनांक 18/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-धवापुर 1 कि.मी. स्कूल ग्राम-धवापुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजपुर 18.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 144 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 148.4 मीटर, न्यूनतम 136.5 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 579 मीटर, न्यूनतम 577.2 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 104 मीटर, न्यूनतम 71.4 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 39.4 मीटर, न्यूनतम 6.9 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमानित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा - 99,760 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.57 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पत्राचार भी प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के घाटों तरफ से 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 06/03/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरंत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से घर्षा उपरंत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

*(Signature)*

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
51	2%	1.0	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Dhandhapur	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation with fencing	0.43
			<b>Total</b>	<b>1.03</b>

18. नैर माइनिंग क्षेत्र - नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 148.4 मीटर, न्यूनतम 536.5 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 39.4 मीटर, न्यूनतम 6.8 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक को क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माइनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 119.85 वर्गमीटर नैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है। जल रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.543 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को सीमा सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.एसो. उत्तीरागढ़ की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021 को परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/वस्तावेज दिनांक 02/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

समिति द्वारा नसी. प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी, उपवनमण्डल राजपुर के ड्राफ्ट क्रमांक/2020/939 राजपुर, दिनांक 30/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार अपेक्षित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 2 कि.मी. एवं वन अभयारण्य से 30 कि.मी. की दूरी पर है।
2. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भर्राई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं उत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया

है। गहान नदी छोटी नदी है तथा इसमें सर्वाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (घान-घंघापुर) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. वृक्षारोपण कार्य - प्राथमिकता के आधार पर नदी किनारे पर कुल 2500 नम पीछे - 1250 नम अर्जुन के पीछे तथा शेष 1250 नम (धानुज, करंज, चाँदा, आम आदि) पीछे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पट्टेदार मार्ग पर 700 नम पीछे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत की पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंघति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन का प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा -
  - i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही बिन्दुओं में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपरस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित बिन्दुओं पर किया जायेगा।
  - ii. इन्हीं प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
  - iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एसईआईएए, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मैसर्स घंघापुर रोपड माइनिंग (प्री.- श्री संजय कुमार अग्रवाल), प्लॉट नॉम्बर खसरा क्रमांक 24, घान-घंघापुर, सहस्रील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में दो गैर माइनिंग क्षेत्र 119.85 वर्गमीटर क्षेत्र कान करने 4843 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-10 में वर्णित सर्तों के अधीन दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई भूमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।



8. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौक़े पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन करवाने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

राज्य स्तर पर्यावरण सन्तुलन निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स नरसिंहपुर रोण्ड माईन (प्रो.- श्री विजय कुमार शर्मा), ग्राम-नरसिंहपुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1717)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएम / 217148/2021, दिनांक 29/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत (गोण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-नरसिंहपुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 44, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महान नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 99,277.62 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-नेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ़ेरेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारों का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नरसिंहपुर का दिनांक 02/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. सिन्हाकित/सीमाकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान सिन्हाकित/सीमाकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के पु. ज्ञापन क्रमांक 788/खनिज/उ.सो.अनु/2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 03/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 326/खनिज/2021 बलरामपुर, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित शार्दजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक



- 324/खनिज/2021 बलरामपुर, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे बाग, एनीकट, मंदिर, मस्जिद, मरघट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण – एल.ओ.आई. श्री विजय कुमार शर्मा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजागंज के ज्ञापन क्रमांक 251/गौण खनिज/रेत नीलामी/2021 बलरामपुर, दिनांक 06/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
  8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
  9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
  10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-नरसिंहपुर 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-नरसिंहपुर 2 कि.मी. एवं अस्पताल राजपुर 12.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.6 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
  11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पीर्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
  12. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 214.8 मीटर, न्यूनतम 114.9 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 810.5 मीटर, न्यूनतम 802.1 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 71.3 मीटर, न्यूनतम 42.1 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के उत्तरी किनारे से दूरी न्यूनतम 7 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी न्यूनतम 46.8 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
  13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनेबल रेत की मात्रा – 63,277.62 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 6 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसकी अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.57 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
  14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलर्स – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर के गिड बिन्दुओं पर दिनांक 06/03/2021 को रेत सतह के वर्तमान

Q/

लेवल (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/एस्ताफेज प्रस्तुत किये गये हैं।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
51	2%	1.0	Following activities at Nearby Government Middle School, Village- Narsinghpur	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation with fencing	0.43
			<b>Total</b>	<b>1.03</b>

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 214.6 मीटर, न्यूनतम 114.9 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के उत्तरी किनारे से दूरी न्यूनतम 7 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी न्यूनतम 46.8 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे 3,361.19 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के जवसेव 4.68 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एसई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021 के परिप्रेष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/एस्ताफेज दिनांक 02/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी, उपवनमण्डल राजपुर को आपन क्रमांक/2020/991 राजपुर, दिनांक 30/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 3 कि.मी. एवं वन अभयारण्य से 30 कि.मी. की दूरी पर है।

2. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन स्वयं एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महान नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (ग्राम—नरसिंहपुर) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संश्लिष्ट खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. **दुष्प्राशयन कार्य** — प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पीछे — 1,000 नग अर्जुन के पीछे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पीछे लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एष्टेच मार्ग पर 700 नग पीछे लगाए जाएंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राह अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाइन डाटा** —
  - i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।
  - ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
  - iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. चत्तीरागढ़ को प्रस्तुत किए जाएंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स नरसिंहपुर सैण्ड माईनिंग (प्री- श्री विनाय कुमार शर्मा), खसता क्रमांक 44, ग्राम—नरसिंहपुर, तहसील—राजपुर, जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 3,361.19 वर्गमीटर क्षेत्र काम करने 4.68 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणवीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-11 में वर्णित शर्तों को अंगीन दिये जाने की

अनुसंधान की गई। रेत की खुदाई भगिनों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी साहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग धाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अयस्क माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स परसवारकला सेण्ड माईन (प्रो.- श्री धुरन मरावी), ग्राम-परसवारकला, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1705)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एम्आईएन / 215024 / 2021, दिनांक 12/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गैंग खनिज) है। यह खदान ग्राम-परसवारकला, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 726, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महान नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 06,876.78 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 30/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। उनके द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि तकनीकी समस्या होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। आज आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दरतावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) को साथ आयोजित बैठक दिनांक 30/07/2021 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया।

(ब) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धुरन मरावी, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अदालोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत परसवारकला का दिनांक 02/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के पु. आपन क्रमांक 785/खनिज/उ.पी.अनु./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 03/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के आपन क्रमांक 322/खनिज/2021 बलरामपुर, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के आपन क्रमांक 320/खनिज/2021 बलरामपुर, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के आपन क्रमांक 253/नीण खनिज/रेत नीलामी/2021 बलरामपुर, दिनांक 06/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-परसवारकला 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-परसवारकला 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजपुर 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित मिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 138.8 मीटर, न्यूनतम 117.9 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 489.4 मीटर, न्यूनतम 487.1 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 117.8 मीटर, न्यूनतम 103.7 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 14.4 मीटर, न्यूनतम 5.8 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से

न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 98.876 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.57 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण्डा 25 मीटर के गिड बिन्दुओं पर दिनांक 06/03/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से घर्षा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
51	2%	1.0	Following activities at Nearby Government Middle School, Village- Paraswarkala	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation with fencing	0.43
			<b>Total</b>	<b>1.03</b>

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 138.8 मीटर, न्यूनतम 117.9 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 14.4 मीटर, न्यूनतम 5.8 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 1.161.62 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.843 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा सत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम उन क्षेत्र एवं क्रमवारण/राष्ट्रीय उद्यान की

वार्षिक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एसईएसी, उत्तीरागढ़ की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/प्रस्तावक दिनांक 02/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

**(ब) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:-**

समिति द्वारा मस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. कार्योत्पन्न उपवनमण्डलाधिकारी उपवनमण्डल राजपुर के आपन क्रमांक/2020/992 राजपुर, दिनांक 30/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 3.7 कि.मी. एवं वन अभ्यारण्य से 30 कि.मी. की दूरी पर है।
2. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं मरई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महान नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (धाम-पसपारकला) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. **वृक्षारोपण कार्य** — प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पौधे — 1,000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बारा, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 700 नग पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाढ अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत को पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** —
  1. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।



ii. इसी प्रकार का काम उपरोक्त भागसूच के पूर्व (पूर्व का) भी अतिम स्तर/तुल्य के प्रथम स्तर) इसी विधि विन्दुओं पर सेतु स्तंभ के लिये (Levelling) का मापन किया जाएगा।

iii. सेतु स्तंभ के पूर्व निर्धारित विधि विन्दुओं पर सेतु स्तंभ के लिये (Levelling) का मापन का कार्य अगामी 3 वर्ष तक विस्तार किया जाएगा। पीएच-भागसूच से आंकड़े विसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं पी-भागसूच से आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अर्थात् सेतु से एनईआईएए, उत्तीर्णता के प्रस्तुत किए जाएंगे।


3. समिति द्वारा विचार किया जाएगा सर्वसाधारण से संबंधित कार्य- कार्य (जैसे- छोटे पुल, बांध, आदि-परसवारकाल, गडदील-बांधपुर, जिला-बसवापुर-राजमुजरा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टर में से सेतु निर्माण क्षेत्र 1,181.82 वर्गमीटर क्षेत्र लग करके 4.543 हेक्टर क्षेत्र में सेतु प्रकल्प अधिकतम 3 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिकूल से उपकरण से प्रकल्पगत स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि सेतु परिशिष्ट-12 में वर्णित शर्तों के अंतर्गत विधि (जाने की अनुमति की गई) सेतु की खुदाई अधिकतम द्वारा (Manually) की जाएगी। सिंचन के (Miner Bed) में शरीर धारण का प्रकल्प प्रतिकूल होगा। लीज क्षेत्र में सिंचन सेतु खुदाई गहराई (Excavation) से अधिकतम 0.5 मीटर तक सेतु का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा द्वारा किया जाएगा।

4. सेतु निर्माण क्षेत्र एवं उपरोक्त निर्माण क्षेत्र का सीमा पर स्थित विभाग से स्थायी सीमांकन करने के उपरांत ही स्थित विभाग द्वारा उपकरण की अनुमति दी जाएगी।

समय स्तर पर प्रकल्प-समाप्तता निर्दिष्ट प्रकल्प (एनईआईएए, उत्तीर्णता के लक्ष्यसूच सुनिश्चित किया जाए।

सदस्य पंचायत द्वारा सेतु प्रकल्प शुरू।

  
 (सरवेश सिंह)  
 सरवेश सिंह  
 राज्य स्तर विशेषज्ञ अंजन समिति  
 उत्तीर्णता

  
 (सरवेश सिंह)  
 अध्यक्ष  
 राज्य स्तर विशेषज्ञ अंजन समिति  
 उत्तीर्णता

**ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS OF  
M/S SHREE SHYAM IRON AND POWER PVT LTD FOR EXPANSION OF  
INDUCTION FURNACE WITH CCM WITH HOT CHARGING ROLLING MILL OF  
CAPACITY 30,000 TPA (3X10 TPH) TO 59,500 TPA (3X10 TPH)**

**I. Statutory Compliance:**

- i. One additional induction furnace (10 TPH) shall install with CCM / hot charge Rolling Mill. All the induction furnaces (3 x 10 TPH) is CCM / Hot charging based rolling mill.
- ii. Project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under Provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).
- iii. Project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for Project.
- iv. Project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

**II. Air Quality Monitoring and Preservation**

- i. Project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31<sup>st</sup> March 2012 (applicable to I/EA/F) as amended from time to time, and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- ii. Project proponent shall monitor fugitive emissions in Plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- iii. Project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g.  $PM_{10}$  and  $PM_{2.5}$  in reference to PM emission, and  $SO_2$  and  $NO_x$  in reference to  $SO_2$  and  $NO_x$  emissions) within and outside Plant area (at least at four locations one within and three outside Plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.
- iv. Project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace with ccm with hot charge rolling mill with existing 32 meter stack height to ensure particulate matter emission less than  $25 \text{ mg/Nm}^3$  at the time. Project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of Plant shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	$25 \text{ mg/Nm}^3$ (Twenty Five Milligram per Normal Cubic Meter)
--------------------	--

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 32 meters.

- v. Project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.
- vii. Recycle and reuse of fines collected in Pollution control devices and vacuum cleaning devices in process.
- viii. Project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.
- ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.
- x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTV) at suitable locations (i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc) shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.
- xi. Project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

### III. Water Quality Monitoring and Preservation

- i. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet Prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31<sup>st</sup> March 2012 (applicable to IF/CAF) as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in Process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.
- ii. Project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in Plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- iv. Gutter drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.
- v. Project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent. Rain water harvesting within Premises shall be complete within 1 month.
- vi. Project proponent shall make efforts to minimize water consumption in Plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

### IV. Noise Monitoring and Prevention

- i. Noise level survey shall be carried as per Prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

## V. Energy Conservation Measures

- i. Re-rolled products shall be based on hot charging only. Practice hot charging of slabs and billets/blooms as maximum as possible.
- ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- iii. Project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

## VI. Waste Management

- L. Project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Slag shall be sold to Slag Crushing units. Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration.
- ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
- iii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
- iv. Project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
- v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

## VII. Green Belt

- i. Green belt shall be developed in an area not less than 40.03 % (1.62 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover Periphery of Plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that maintaining minimum 8 meter wide green belt all along the periphery and total 4,088 Nos plantation will be done within 1 month.
- ii. Project proponent shall prepare GHG emissions inventory for Plant and shall submit Programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

## VIII. Human health issues

- i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- ii. Project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of Project.
- iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

## IX. Corporate Environment Responsibility

- L. Project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility under environment management plan as per proposal submitted within 05 months:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

600	2%	12.0	Following activities at 8 Nearby Government Schools		
			Rain Water Harvesting System	7.27	
			Potable Drinking Water Facility With AMC	1.75	
			Running Water Facility for Toilet	2.25	
			Plantation with Fencing	1.25	
			<b>Total</b>	<b>12.52</b>	

- ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
- iii. A separate Environmental Cell both at Project and company head quarter level with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action-plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
- v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
- vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for Plants (if any) shall be implemented.

#### X. Miscellaneous

- i. No additional land shall be acquired for this project.
- ii. Local persons shall be given employment during development and operation of Plant.
- iii. Project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in Project proponent's website permanently.
- iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by Project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- v. Project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- vi. Project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely, PM<sub>10</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any) indicated for Projects and display the same at a convenient location for disclosure to Public and put on the website of the company.
- vii. Project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

- vii. Project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. Project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of Project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by Project.
- ix. Project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
- x. Project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
- xi. No further expansion or modifications in Plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.
- xii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under Provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xiii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- xiv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- xv. The Integrated Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. Project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- xvi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under Provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Honble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- xvii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 15 of the National Green Tribunal Act, 2010.
- xviii. Environment clearance will be valid as per Provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

  
Member Secretary, SEAC

Chairman, SEAC

मेरास नारायणपुर बिकास अर्थ कले क्वारी एम्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट  
(प्रो.- श्री सतीश कश्यप)

को खसरा क्रमांक 180 एवं 188, ग्राम-नारायणपुर, तहसील व जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्र 2.43 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता - 3,252 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 21,68,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी कलक्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 2.43 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता - 3,252 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 21,68,000 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेंगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/08/2013 के अनुसार किसी निम्न स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स चिमनी से घाटों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/08/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड-लाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रमाण में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अथवा इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोल्डपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. मू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय मू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने से पूर्व अनुमती प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)



8. ईट उत्पादन हेतु फिक्स्ड चिमनी आधारित ईट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्तरों में उत्पन्न फ्लूइडिबल डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। गट्टिंग मार्ग, रैम्प, संवहन क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संयंत्रण सुनिश्चित किया जाए।
9. ईट निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।
10. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत विभिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
11. ईट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई ऐश की उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को भू-भरण हेतु उपयोग किया जाए।
12. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉन्करेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपत्ति प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (डिक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊंचाई 03 मीटर तथा स्तरीय 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षादीपण किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीच क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईट भट्टा क्षेत्र में सिट्टेनिंग चैनल /गार्लेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
15. मिट्टी एवं ईट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इसके धुंसे वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज



का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना को अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.23	2%	0.69	Following activities at Government Primary School Upkapara, Village-Narayanpur	
			Rain Water Harvesting System	0.52
			Running Water Facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.05
<b>Total</b>			<b>0.82</b>	

17. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घाटी तटफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), होल रोड, ओवरसर्जन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,000 वृक्षों का साधन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
19. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में कम से कम 200 पीछे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 500 पीछों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा टी माई का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
20. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पीछों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्थात्वार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निदेशन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

22. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
23. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि ध्वनिस्तरों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
24. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
25. कार्य स्थल पर यदि कंभिग अतिक्रमण पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अतिक्रमणों को आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
26. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
27. श्रमिकों का समय-समय पर आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना आवश्यक है।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की स्वरूपा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन / निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
31. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नानपुर को प्रेषित किया जाए।



33. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
34. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
35. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटनय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संकलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
36. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विस्तार अथवा परिवर्तन होने की दृष्टि में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा सम्मयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
37. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
38. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मैसर्स कुरमाडीह क्वार्ट्ज डिपोजिट (प्रो - श्री अभिषेक अग्रवाल)  
की खसरा क्रमांक 67 एवं 68, कुल लीज क्षेत्र 4.09 हेक्टेयर, ग्राम-कुरमाडीह,  
तहसील-बसना, जिला-मझारामुंद में क्वार्ट्ज (गौण खनिज) उत्खनन - 25,000  
टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 4.09 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दीनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से क्वार्ट्ज का अधिकतम उत्खनन 25,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कड़ाकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की केषता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा पुनरोपयोग हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकनोेट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
5. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह ग्राम, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. भू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी विननी / वेट / पाईट सौर से पार्टिकुलेट मीटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्वारर स्क्रीन ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न पर्याजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टीय मार्ग, रैम, संचालन क्षेत्र, बर्राई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन

विन्दुओं डस्ट कंटेनमेंट कम सप्लेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इस्का सतह संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिधीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 1.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि को पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्तित स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु गार्डन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
14. खनिज का परिवहन मैकनेकली कस्टर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
47	2%	0.94	Following activities at Government Primary School, Village-Kurmadih	

			Rain Water Harvesting System	0.80
			Potable Drinking Water Facility	0.20
			Running Water Facility for Toilets	0.20
			<b>Total</b>	<b>1.20</b>

16. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 महीने में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
17. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (भारी तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल रोड, ऑवरसर्टेन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,700 पौधों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित घट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
18. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर स्लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 900 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (बधा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
19. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
20. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफिक अर्थवार्थिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण सन्धाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
22. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग स्टोन) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। गेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
23. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर को नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
24. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।



25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज वन उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज विधम, 2015 के प्राक्धानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्राक्धानों का पालन किया जाए।
26. कार्य स्थल पर यदि केमिग भूमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भूमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाना जा सके।
27. भूमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकित्साकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
28. भूमिकों का समय-समय पर आवश्यकतानुसार हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
30. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार इशाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
31. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की कार्यरत में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
32. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
34. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों एवं आवेदन वन पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
35. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण







प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. न्यू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय न्यू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी विमनी / वेट / पाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्लोर, सल्फर डाइऑक्साइड (यदि कोई ही) ने वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न पर्यावरणिक डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेंट कम संग्रहण सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संभालन / संचालन सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों से अनुमूल्य रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेष्टीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन संकलन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट या डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कृषारोपण किया जाए।
12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डिन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहाँ पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉन्करेटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. ओवरबर्डिन एवं अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से किन्हीं स्थान पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डिन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीकों से कृषारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डिन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (डैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा कृषि वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिस्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
16. खनिज का परिवहन मकनेकाली कन्वर्ट वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

10

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना को अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
31	2%	0.62	Following activities at nearby Government Middle Schools, Village-Gondpendry	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Potable Drinking water Facility	0.20
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation	0.20
<b>Total</b>			<b>1.30</b>	

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
19. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (पारी तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरसॉर्डन ड्रम आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,000 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
21. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
22. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डीजीपीएस, (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राम्स अर्थात्तः रिपोर्ट में समाहित करते हुये जलसमृद्ध पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण सभागत निर्धारण प्रतिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.), जलसमृद्ध को प्रेषित किया जाए।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को

इयत्सम/समय आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

24. सक्षम प्राधिकारी / डी.पी.एम.एस. से अनुमति उपरोक्त सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से बनस्पतिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (मलाई रॉक्स) को उठाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
25. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
26. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि बनस्पतियाँ एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
28. कार्य स्थल पर यदि कौन्सिल श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सक्ती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
29. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्साकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
30. श्रमिकों का समय-समय पर आयुपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
31. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
32. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
33. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों को संशोधन रूप से पालन न करने की वशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
34. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ भविष्यकाल, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एच. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
35. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की आई वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण मण्डल, मिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

36. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय रबीकृति में प्रयुक्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में भी जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
38. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंचालन और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) को अर्थात् विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
39. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की वशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने का बतु निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा रन्वयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय रबीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-आधार एवं सद्योग-केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
41. पर्यावरणीय रबीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स बकाली सेम्ड क्वारी (प्रो.- श्री विजय कुमार साहू)  
 को खसरा क्रमांक 1508 एवं 1487, कुल क्षेत्रफल-2.1 हेक्टेयर में से 1.517  
 हेक्टेयर, ग्राम-बकाली, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) में गेरुवा नाला  
 नदी से रेत उत्खनन क्षमता 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण  
 स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट — परियोजना प्रस्तावक रेत खुदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) वास्तु सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खुदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित फिल्टी कलस्टर में है, अथवा 500 मीटर को नीचे स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 4.9 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 1.517 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खुदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर भाईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष भाईनिंग क्षेत्र का नीचे पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के पश्चात् ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित छिड़ बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का पोस्ट-मानसून सर्वे करे, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
6. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इनही छिड़ बिन्दुओं में भाईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित छिड़ बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह की अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इनही छिड़ बिन्दुओं पर रेत सतह के सेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित छिड़ बिन्दुओं पर रेत सतह के सेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
7. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में सिंचित रेत खुदाई गड्ढे

(Excavation pits) से लॉडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

8. रेत का उत्खनन केवल चिन्हित, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर को नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई रीक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
9. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 7.5 मीटर की दूरी को बाध किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, एरिडिटी एवं जल प्रवाह के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन क्षेत्र उरती क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। काबुली के प्रजनन इलाकों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रजातों तथा लॉडिंग / अनलॉडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले क्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
16. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में नदीतट को कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, नीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 500 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (सथा कंटेदार तार

की बाढ़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।

17. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
18. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राम्मर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्रतिक्रमण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16	2%	0.32	Following activities at Nearby Government Primary School Junapara, Village- Bakalo	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.15
			<b>Total</b>	<b>0.75</b>

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
21. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरम्भ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
22. छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
23. कार्य स्थल पर यदि कम्पिंग भूमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे भूमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।



24. भूमिकों के लिए रखने स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकित्सकीय सुविधा, गोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
25. भूमिकों का समय-समय पर जाँचपूरेक्षण हेतु सर्विलेंस कराया जाये।
26. रखरखाव की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित रखरखाव योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
27. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
28. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विभिन्नित शर्तों के संशोधनप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निरस्त्रय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
29. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के अस्त-पास्त व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ भूमिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
30. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की आरंभ वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
31. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकी/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

*(Handwritten Signature)*

32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकलमय अपशिष्ट (प्रबंधन हस्तांतरण एवं सीमापार संचालन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अर्थात् विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
35. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

  
सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स जयरामनगर लाईम स्टोन क्वारी (प्रो. - श्री त्रिलोक चंद शर्मा)  
को खसरा क्रमांक 774/1, कुल लीज क्षेत्र 0.809 हेक्टेयर ग्राम-जयरामनगर,  
तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर में चूना पत्थर (गीण खनिज) उत्खनन -  
5.250 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.809 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान में चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 5.250 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्की मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) को उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अतः इन प्रक्रिया में अथवा व्हाइरोसिंग हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोफॉट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण कबल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
5. खनि परतों धारक खान संभालने बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इतनी स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. भू-जल के उपयोग हेतु औद्योगिक भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी विन्नी / वेट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्लश, स्कीन, ट्रेसधर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न पर्यावरणीय डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, सड़क क्षेत्र, भरई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन

QW

विन्दुओं इस्ट कंटेनमेंट वॉल सप्लेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संचारण सुनिश्चित किया जाए। फिफ्ट बेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 1.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का अंश / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनक्रेटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिंदी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से विन्हील स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण टोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिंदी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन की प्रस्ताव बने गड़कों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न रिफ्ट लीज क्षेत्र के आस-पास को सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
14. खनिज का परिवहन नेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए -

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36	2%	0.72	Following activities at Government Primary School, Village - Khaira Jairamnagar	

		Rain Harvesting System	Water	0.60
		Plantation with fencing		0.20
		<b>Total</b>		<b>0.80</b>

16. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
17. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (धारा 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, ओवरबर्डिन जम्म आदि में स्थानीय प्रजाति के 180 कृषकों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
18. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इगली, अर्जुन, तीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा काटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
19. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करत हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
20. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं गैटोराफस आर्थाधिक रिपोर्ट में समाहित किये हुये छातीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण सनाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.) छातीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
21. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित क्लार पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज फेसीलिटी सहित) लगाया जाए।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
23. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरोक्त सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से प्लान्टिंग किया जाए। मत्स्य के छोटे-छोटे टुकड़ों (प्लान्ट रीफस) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। पेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे बल्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
24. उत्खनन प्रक्रिया नू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया नू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
25. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्थलियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

/s/

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2016 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
27. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग भूमि का कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भूमिको को आवागमन हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं को रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
28. भूमिको के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टॉयलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
29. भूमिको का समय-समय पर जायसुपेशनल हेल्थ सर्विलेस कराना आवश्यक है।
30. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उत्खनन हेतु अधिकृत करता है।
32. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
33. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
34. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, चितासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
35. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मण्डल की वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन की संख्या में की जाने वाली नॉनितरिग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

37. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनको लागू बनाये गये नियमों, परिसंकटनय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2018 तथा लोक वायुमय बीम अधिनियम, 1984 (यथा संशोधित) को अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
38. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने वास्तु निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उत्खनन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
39. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
40. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल को समक्ष नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

  
सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स सल्का सैण्ड गाईन (प्री.- बी राजाराम सिंह)

की खसरा क्रमांक 358, कुल क्षेत्रफल-3.55 हेक्टेयर, ग्राम-सल्का, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सुरजपुर (छ.ग.) में अटेंग नदी से रेत उत्खनन क्षमता 35,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बावत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थायीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी बलस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल संख्या 4.9 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 3.55 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 35,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का पोस्ट-मानसून सर्वे कर, उसके आंकड़े तालिका एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णन को प्रस्तुत किये जायें।
6. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं में गाईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णन को प्रस्तुत किए जायेंगे।
7. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। स्थिर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गडबड़े (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेली द्वारा किया जाएगा।



8. रेत का उत्खनन केवल विन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड बैंक) को ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
9. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 10 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिस, स्टेशन, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जितने तथा जिससे आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
12. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों तथा लॉडिंग / अनलॉडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट का सार्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेधीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिष्कार, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
14. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त साधन से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज या परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
16. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में नदीतट को कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष 1,700 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 500 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कॉन्टेनर तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।

cal

17. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करके हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
18. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्थात् वार्षिक रिपोर्ट में समाहित करके हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25.27	2%	0.52	Following activities at Nearby Government Primary School Mudaapera, Village- Salka	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.15
			<b>Total</b>	<b>0.75</b>

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 महीने अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
21. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
22. छत्तीसगढ़ ग्रीन एजिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी विस्तार निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
23. कार्य स्थल पर यदि कम्पिन श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
24. श्रमिकों के लिए खाने स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकित्तावीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

25. श्रमिकों का समय-समय पर आवेदुपेशानत हेल्थ सर्विलेस कराया जाये।
26. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
27. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
29. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
30. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल जम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को भेजित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदाता शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन को संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा

नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1991, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन स्थालन एवं सीमापार संघलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित), तथा लोक वादित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) को अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की वशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उत्खनन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति ले बिना नहीं किया जाए।
34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय से 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
35. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में प्रेषित जा सकेगी।

  
सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स कागदेही रोम्ब माईन (प्रो.- श्री जितेन्द्र कुमार साहू)  
को खनन क्रमांक 2400, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर, ग्राम-कागदेही,  
ताहसील-आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 75,000  
घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 15 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Siltation Study) कलासेमा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधित नहीं आकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनस्वस्थि, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल संख्या 4.9 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी सट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जाएगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जाएंगे।
6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी जड़ों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल बिन्दुगत, सीमाबद्ध एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति

में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई रीक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 69 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिस, स्टाम्पिंग, बंध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयाँ / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भरवाई / परिष्करण दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रजातों तथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले क्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिदेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिष्करण, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन में किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। समिज गत परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 300 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 3,500 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 700 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कॉन्टेनर तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।



17. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
61.89	2%	1.24	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Kagdehi	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Solar Power System for Light	0.75
			Running water facility for Toilets	0.15
<b>Total</b>			<b>1.25</b>	

19. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
20. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य सारान के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रैत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
21. छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रैत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
22. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास संबंधित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल क्लिनिक्सकीय सुविधा, भोचाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय-समय पर आकस्मिकतात्मक हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की वशा में किसी भी शर्त में संतोषन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय सम्प्रदाय पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiaocg.org](http://www.seiaocg.org) पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981,



पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्मयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती को उनका क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मंसरु चंगोरी लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री मनोज कुमार अग्रवाल)  
 को खसरा क्रमांक 25/119, 25/120 एवं 25/28, कुल लीज क्षेत्र 1,235  
 हेक्टेयर, ग्राम-चंगोरी, तहसील-लुण्डा, जिला-सरगुजा में चूना पत्थर (गीम  
 खनिज) उत्खनन - 19,629 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने  
 वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1,235 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 19,629 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुभारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की किरता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेंगी।
4. ग्लोबल हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार नकारात्मक एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. ग्लोबल हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उनका स्वर्ल पर अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को अर्धवार्षिक (Half Yearly) प्रेषित की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृष्टावृषण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। धरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियाँ, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना

प्रस्तावक द्वारा स्थान अधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. नू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय नू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. बिजली विमनी / वेट / पाईट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। जहर, सहीन, ट्रांसफर पाइप्लस (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ एचए वक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न पर्युबिटिफ डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहूँच नार्न, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सर्प्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका संतप्त संवाहन / संभारण सुनिश्चित किया जाए। डिप्ट ड्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. वाहनों, कानन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को बर्थावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसूच रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऊधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ जोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इन पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सीईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी औद्योगिक क्षेत्रों के स्थिर (स्टेबिलाइज्ड) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सीईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (बॉनकारेटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिह्नित स्थल पर भण्डारित किया जावेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। अन्य ली ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के परिसर बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा बाहिर वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गार्लेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
16. खनिज का परिवहन मेकमैकली कवर्ड वाहन से किया जाए ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39.5	2%	0.79	Following activities at Government Middle School, Village-Changori	
			Rain Water Harvesting System	1.32
			Potable Drinking Water Facility with 5 years AMC	0.37
			Installation of 2 Water Tank of 1000 Liter each and electric Pump, Fitting & Plumbing	1.00
			Running Water Facility for Toilets	0.05
<b>Total</b>			<b>2.74</b>	

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
19. उत्खनन हेतु निम्नित क्षेत्र (पारो तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र) हील रोड, औवरबर्न बम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,230 पक्षी का राधन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीरू, आम, इमली, अर्जुन, शीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
21. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
22. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय विव्या जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मास्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
24. स्वस्थ प्रायिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरोक्त सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से स्थापित किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई चोकरा) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सशान व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
25. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
26. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
28. कार्य स्थल पर यदि कम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों को आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
29. श्रमिकों के लिए खाने स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
30. श्रमिकों का समय-समय पर आकूपेशनल हेल्थ सर्विलेस करना आवश्यक है।
31. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपेक्षित सम्पत्ति है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति को बिना नहीं किया जाए।
32. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
33. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखाता है।
34. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र को आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़

9/

- पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अपलोड करने हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अपलोड करने एच. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
35. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
  36. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
  37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
  38. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपरिहार्य (प्रत्यक्ष एवं सीमापार संघर्ष) नियम, 2018 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
  39. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विध्वंसन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार वन शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने हेतु निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
  40. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
  41. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेरसा घंघापुर रोड मार्गिन (प्र) - श्री राजय कुमार अग्रवाल)  
 को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 24, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में से 4.843 हेक्टेयर,  
 ग्राम-घंघापुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) में महान  
 नदी से रेत उत्खनन क्षमता 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण  
 स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधित नहीं आसके, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की शुद्धता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर की भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल सक्षम 4.9 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 4.843 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कलने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
5. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सारों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
6. रेत की खुदाई बमियों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हित, सीमांकित एवं घेरे हुए क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड बैंक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 15 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान को अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उन्नी क्षेत्र में किया जाए जिसमें लवण जिराके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कालुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भरवाई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागी यथा ओडिंग / अमलौडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले क्यूजिटिव इस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परितोषीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, रीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,500 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 700 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।

✓



16. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये प्लान पीछों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
17. विन्डे गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
51	2%	1.0	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Dhandhapur	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Plantation with fencing	0.43
			<b>Total</b>	<b>1.03</b>

19. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
20. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेल उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
21. छत्तीसगढ़ ग्रीन ब्रिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेल उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजनाएं एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
22. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास सुचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं को स्था में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

*(Handwritten signature)*

23. श्रमिकों के लिए खाने स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकित्साहीन सुविधा, गोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
24. श्रमिकों का समय-समय पर आवश्यकतापरतन हेल्थ सर्वेलेस कराया जाये।
25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों को अतिक्रमण अथवा कर्म, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
27. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन स्वी से धालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्खनन / निस्काय के मानकों को और सख्ता करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यवहृत रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के धालन हेतु की गई कार्यवाही की अंत वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अभिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के धालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
30. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हवालान एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
32. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती की उनको क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील मंत्रालय ग्रीन ट्रीथ्यूनल के समक्ष, मंत्रालय ग्रीन ट्रीथ्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स नरसिंहपुर सेंपड गाईन (प्रो.- श्री विजय कुमार शर्मा)  
 को खसरा क्रमांक 44, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में से 4.68 हेक्टेयर,  
 ग्राम-नरसिंहपुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) में महान  
 नदी से रेत उत्खनन क्षमता 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण  
 स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेंगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बावजूत सही आँकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्वार्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल स्वम्बा 4.9 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 4.68 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर गाईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष गाईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
5. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं विशिष्ट बिन्दुओं में गाईनिंग लीज क्षेत्र तथा सीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विशिष्ट बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं विशिष्ट बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित विशिष्ट बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन की लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हित, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा परतमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई रीक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 22 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापवैक, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उरी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इलाकों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागी वन्य लॉडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिसरान, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में नदीतट को कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इगली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 700 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।

G/S

16. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत वृक्षों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
17. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफिक आर्वाथिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
51	2%	1.0	Following activities at Nearby Government Middle School, Village- Narsinghpur	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation with fencing	0.43
			<b>Total</b>	<b>1.03</b>

19. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
20. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागों, मन्त्रालों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र / राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
21. छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी विरा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
22. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग बगैर कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे बगैरों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।



23. श्रमिकों के लिए छानन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकित्सकीय सुविधा, मोंबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तापक द्वारा की जाए।
24. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेस कराया जाये।
25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
27. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
28. परियोजना प्रस्तापक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiascg.org](http://www.seiascg.org) पर भी किया जा सकता है।
29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाहों की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रयत्न शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
30. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन से संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।







मेसर्स परसवारकला रोण्ड माईन (प्रो.- श्री घुरन मरावी)  
 को खसरा क्रमांक 728, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में से 4.843 हेक्टेयर,  
 ग्राम-परसवारकला, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) में  
 महान नदी से रेत उत्खनन क्षमता 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित  
 पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधक नहीं आकर रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनस्वस्थि, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि को लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 4.8 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 4.843 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकांश उत्खनन 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। रेत माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
5. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं छिद्र बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं छिद्र बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य तौर से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
6. रेत को खुदाई धमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में निचत रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हित, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई बैंक) को ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई को 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की तीना से न्यूनतम 14 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिस, स्टाफिंग, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उपरी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिराफे आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कालुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भरवाई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेहीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन कारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इनके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को झगटा से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 700 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कार्टेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।

*anf*

16. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत वीरों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
17. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफिक अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निदेशन प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
51	2%	1.0	Following activities at Nearby Government Middle School, Village- Paraswarkala	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation with fencing	0.43
			<b>Total</b>	<b>1.03</b>

19. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
20. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने को पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
21. छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी विभा निदेशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
22. कार्य व्यय पर यदि कंनिग अत्रिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अत्रिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

*(Signature)*

23. अभिकर्ता के लिए सखन स्थल पर स्वच्छ पेयजल किशितसकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावका द्वारा की जाए।
24. अभिकर्ता का समय-समय पर आख्युपेक्षणत हेल्थ सर्विलेस कराया जाये।
25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दराने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
27. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका उपलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिट्रिंग की जाएगी।
30. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।



31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन इधालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक वायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
32. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विघटन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने कायत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील भेजाने की डीम्यूनल के सम्बन्ध में शानत की डीम्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.